

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 17/10/2022 को संपन्न 428वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 3. श्री किशन सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 4. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 5. डॉ. मनोज कुमार घोषकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 6. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेन्डा आयटम क्रमांक-1: 426वीं एवं 427वीं बैठक क्रमशः दिनांक 29/09/2022 एवं 30/09/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 426वीं एवं 427वीं बैठक क्रमशः दिनांक 29/09/2022 एवं 30/09/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-2: गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स जोकारी आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.- श्री अमय कुमार सोनी), ग्राम-जोकारी, तहसील-कुनकुरी, जिला-जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2070)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77811/2022, दिनांक 06/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम-जोकारी, तहसील-कुनकुरी, जिला-जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 401/1 कुल क्षेत्रफल-4.0 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,00,035 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 17/10/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स श्रीमती मीना रंगलानी (कलकसा लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-कलकसा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1083बी)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 44498/2017, दिनांक 28/12/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 44498/2017, दिनांक 04/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कलकसा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 235/3 एवं 242, कुल क्षेत्रफल-1.498 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता- 28,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1058, दिनांक 30/09/2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अरूण कुमार रंगलानी, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री सुभाष कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 235/3 एवं 242, कुल क्षेत्रफल-1.498 हेक्टेयर, क्षमता-28,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 02/05/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के ज्ञापन क्रमांक/7/ख.लि.02/2022, दिनांक 15/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन
2016-17 .	निरंक
2017-18	5,840
2018-19	7,115
2019-20	8,630
जनवरी 2020 से जून 2020	4,900
जुलाई 2020 से मार्च 2022	निरंक

जबकि प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के पृ. क्रमांक 11 में विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन
2017-18	5,840
2018-19	7,115
2019-20	8,630
2020-21	1,500
2021-22	2,565

समिति का मत है कि उक्त उत्पादन आंकड़ों के भिन्नता के संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

- v. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरान्त भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है।

3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कलकसा का दिनांक 02/10/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन योजना - मॉडिफाईड क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्व्हायरोमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3584/खनि02/मा.प्ल. अनुमोदन/न.क्र.05/2019(4) नवा रायपुर, दिनांक 24/06/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-खैरागढ़-छूईखदान-गंडई के ज्ञापन क्रमांक/6/ख.लि.02/2022 दिनांक 12/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें, क्षेत्रफल 12.673 हेक्टेयर है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2787/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 04/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एसीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
7. भूमि एवं लीज का विवरण - भूमि एवं लीज श्रीमती मीना रंगलानी के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/07/1999 से 28/07/2009 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 29/07/2009 से 28/07/2014 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड दिनांक 29/07/2014 से 28/07/2029 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./न.क्र. 25/1126 खैरागढ़, दिनांक 17/03/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 4.1 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-कलकसा 600 मीटर, स्कूल ग्राम-कलकसा 500 मीटर एवं अस्पताल ग्राम-बलदेवपुर 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। अमनेर नदी 5 कि.मी. एवं छोटा नाला 1.4 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,74,100 टन, माईनेबल रिजर्व 3,21,675 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,71,424 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,208 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 19 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 10,000 घनमीटर है जिसमें से 5,200 घनमीटर ऊपरी मिट्टी का उत्खनन पूर्व में ही किया जा चुका है। शेष 4,800 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर एवं रॉक ब्रेकर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	28,000
द्वितीय	28,000
तृतीय	28,000
चतुर्थ	28,000
पंचम	28,000

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।



14. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 672 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री में (675 नग) वृक्षारोपण हेतु	51,072	5,092	5,092	5,092	5,122
वृक्षारोपण हेतु	1,30,900	-	-	-	-
खदान हेतु राशि	5,040	503	503	503	510
सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	2,66,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 13,39,392	4,53,012	2,21,595	2,21,595	2,21,595	2,21,595

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,208 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्वी दिशा में 465 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक एवं पश्चिमी दिशा में 1,260 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित संशोधित माईनिंग प्लान में किया गया है। अतः प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का घोर उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर, 2020 से दिसम्बर, 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सान्द्रण लेवल :-



Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	25.32	44.77	60
PM ₁₀	47.22	67.15	100
SO ₂	7.24	14.68	80
NO ₂	11.31	20.33	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, फ्लोराईड, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लीड, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	47.89	54.87	75
Night L _{eq}	32.1	46.21	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना:- भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 9 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 57 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.05 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है। समिति का मत है कि राज्यमार्ग क्रमांक 5 में सम्पूर्ण क्लस्टर के भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को भी समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट (पी.सी.यू. प्रतिघंटा) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

vi. जी.एल.सी. की गणना -

Contributed Concentration Levels Particulate Matter (AMBIENT INCLUDED MINING ACTIVITY) For PM ₁₀					
S. No.	Activity in the mine	Maximum Baseline Concentration GLCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) at core area	Calculated GLCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Resultant Concentration GLCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Limit (Industrial, Rural and other area) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.	Overall Activities with control ROM (Drilling, Loading/ Unloading, Crushing, Transportation)	67.15	11	78.15	100
2.	Overall Activities with uncontrol ROM (Drilling, Loading/ Unloading,		30	97.15	

	Crushing, Transportation)				
3.	ROM: Blasting		1.1	68.25	

18. लोक सुनवाई दिनांक 15/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान - ग्राम पंचायत भवन कलकसा, ग्राम-कलकसा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव के प्रांगण में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 11 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 11 खदानों द्वारा सामूहिक रूप से जनसुनवाई कराया गया है। जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य अतिशीघ्र करने की कृपा करें। लीज समाप्त होने के बाद खदान को खुला ही छोड़ देते हैं तो उस खदान के चारो तरफ तार काटो का घेरा किया जाना चाहिए। पूर्व में खदान में 5-7 जानवर गिर चुके हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है।
- हैवी ब्लास्टिंग से पत्थर के टुकड़ों के खेत में चले जाते हैं एवं ब्लास्टिंग के पूर्व किसी प्रकार से सूचना नहीं दी जाती हैं, जिससे खेत में कार्यरत मजदूर शारीरिक क्षति होती है।
- खदान के खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके है। जिस कारण खेतों में पानी नहीं पहुँच पाता। गांव में सिंचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं रुकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।
- प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही ग्राम के निवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- प्रदूषण का मुख्य कारण धूल उत्सर्जन है, जिसे रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारो ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा। खदान को चारो तरफ से कटीले तारों से घेरा जाएगा जिससे की जानवर खदान में ना गिरे।

(Signature)

- ii. अनुभवी कांटेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर लोगो को सूचना दी जाएगी।
- iii. हमारे द्वारा नालियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा तथा खदान में जो पानी भरा हुआ है उसे भी सिंचाई के लिए प्रदान करेंगे।
- iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। ग्रामिणों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।

20. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
3.7 कि.मी. पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (2,467 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,98,292	18,772	18,772	18,772	18,772
	फॉसिंग हेतु राशि	19,73,600	-	-	-	-
	खाद हेतु राशि	18,600	1,860	1,860	1,860	1,860
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	13,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000
कुल राशि = 70,93,020		35,54,492	8,84,632	8,84,632	8,84,632	8,84,632

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
800 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (267 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	20,292	2,052	2,052	2,052	2,052
	फॉसिंग हेतु राशि	2,13,600	-	-	-	-
	खाद हेतु राशि	2,010	210	210	210	210
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,48,248	93,248	93,248	93,248	93,248
कुल राशि = 7,66,190		3,84,150	95,510	95,510	95,510	95,510

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।



समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
56	2%	1.12	Following activities at nearby, Village-Kalkasa	
			Pavitra Van Nirman	12.93
			Total	12.93

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 नग पौधों के लिए राशि 60,800 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,20,000 रुपये, खाद के लिए राशि 6,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,16,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,02,800 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,90,720 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कलकसा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 153, क्षेत्रफल 1.22 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

24. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

26. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

27. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये

जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव कार्य में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्पादन आंकड़ों के भिन्नता के संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर से स्पष्टीकरण मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. सम्पूर्ण क्लस्टर के भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को भी समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट (पी.सी.यू. प्रतिघंटा) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
8. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
9. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
10. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में चुना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 348/3, 4, 5, 6, कुल क्षेत्रफल-0.809 हेक्टेयर, क्षमता-15,000 टन प्रतिवर्ष हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2014 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक 30/06/2014 (90 दिवस) तक वैध थी। तत्पश्चात् क्षमता-15,300 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 10/11/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/992/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 04/06/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
2008-09	निरंक	2015-16	2,020
2009-10	निरंक	2016-17	3,550
2010-11	205	2017-18	2,500
2011-12	31	2018-19	15,291.53
2012-13	45	2019-20	15,300
2013-14	1,510	अप्रैल 2020 से मई	2,410
2014-15	1,125	2020 तक	

- पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया

कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/08/2020 तक वृद्धि की गई है।

- vi. समिति का मत है कि मई 2020 के उपरांत भी उत्खनन कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है। अतः मई 2020 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बन्देवपुर का दिनांक 09/08/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन योजना - मॉडिफाईड माईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 888/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019 नवा रायपुर, दिनांक 11/02/2020 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/3073/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 06/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें, क्षेत्रफल 12.47 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों के कुल क्लस्टर क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। इस संबंध में समिति का मत है कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/90/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 09/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. लीज का विवरण - पूर्व में लीज श्री मनीन्द्र नाथ पात्र के नाम पर थी। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 31/12/2008 से 30/12/2013 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 31/12/2013 से 30/12/2018 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज का हस्तांतरण दिनांक 20/03/2017 को मेसर्स खैरागढ़ मिनरल्स के नाम पर किया गया। तत्पश्चात लीज डीड दिनांक 31/12/2018 से 30/12/2038 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
8. मू-स्वामित्व - भूमि मेसर्स खैरागढ़ मिनरल्स (श्री अजय मसीह) के नाम पर है। प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खैरागढ़

मिनरल्स फर्म के अंतर्गत कुल 4 पार्टनर यथा (1) श्री आयुष गुहा (2) श्री अजय मसीह (3) श्री राहुल म्हस्के एवं (4) श्री अजय म्हस्के है। अतः समिति का मत है कि उत्खनन हेतु पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्र. 25/1124 खैरागढ़, दिनांक 17/03/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. की दूरी पर है।
11. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-बल्देवपुर 700 मीटर, स्कूल ग्राम-बल्देवपुर 700 मीटर एवं अस्पताल खैरागढ़ 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। अमनेर नदी 4.7 कि.मी. दूर है।
12. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
13. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व 2,81,251 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,80,000 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,733 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 19 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर थी। वर्तमान में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	15,345
द्वितीय	15,345
तृतीय	15,345
चतुर्थ	15,345
पंचम	15,345

14. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। प्रस्तुत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी के अनुमति की वैधता दिनांक 10/07/2021 तक थी। अतः समिति का मत है कि भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी 500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री में (500 नग) वृक्षारोपण हेतु	38,000	3,800	3,800	3,800	3,800
वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	38,000	3,800	3,800	3,800	3,800
फॉसिंग हेतु राशि	85,200	-	-	-	-
खाद हेतु राशि	3,750	390	390	390	390
सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	2,66,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 12,73,710	3,92,950	2,20,190	2,20,190	2,20,190	2,20,190

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,733 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित है। अतः प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का घोर उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र का उल्लेख करते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर, 2020 से दिसम्बर, 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सान्द्रण लेवल :-



Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	25.32	44.77	60
PM ₁₀	47.22	67.15	100
SO ₂	7.24	14.68	80
NO ₂	11.31	20.33	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:— ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, फ्लोराईट, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	47.89	54.87	75
Night L _{eq}	32.1	46.21	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना:— भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 6 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 54 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.04 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है। समिति का मत है कि राज्यमार्ग क्रमांक 5 में सम्पूर्ण क्लस्टर के भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को भी समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट (पी.सी.यू. प्रतिघंटा) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

vi. जी.एल.सी. की गणना -

Contributed Concentration Levels Particulate Matter (AMBIENT INCLUDED MINING ACTIVITY) For PM ₁₀					
S. No.	Activity in the mine	Maximum Baseline Concentration GLCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) at core area	Calculated GLCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Resultant Concentration GLCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Limit (Industrial, Rural and other area) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.	Overall Activities with control ROM (Drilling, Loading/ Unloading, Crushing, Transportation)	67.15	11	78.15	100
2.	Overall Activities with uncontrol ROM (Drilling, Loading/ Unloading,		30	97.15	

	Crushing, Transportation)				
a.	ROM: Blasting		1.1	68.25	

19. लोक सुनवाई दिनांक 15/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान - ग्राम पंचायत भवन कलकसा, ग्राम-कलकसा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव के प्रांगण में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 11 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 11 खदानों द्वारा सामूहिक रूप से जनसुनवाई कराया गया है। जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य अतिशीघ्र करने की कृपा करें। लीज समाप्त होने के बाद खदान को खुला ही छोड़ देते हैं तो उस खदान के चारो तरफ तार काटो का घेरा किया जाना चाहिए। पूर्व में खदान में 5-7 जानघर गिर चुके हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है।
- हैवी ब्लास्टिंग से पत्थर के टुकड़ों के खेत में चले जाते हैं एवं ब्लास्टिंग के पूर्व किसी प्रकार से सूचना नहीं दी जाती है, जिससे खेत में कार्यरत मजदूर शारीरिक क्षति होती है।
- खदान के खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके है। जिस कारण खेतों में पानी नहीं पहुँच पाता। गांव में सिंचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं रुकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।
- प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही ग्राम के निवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- प्रदूषण का मुख्य कारण धूल उत्सर्जन है, जिसे रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारो ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा। खदान को चारो तरफ से कटीले तारों से घेरा जाएगा जिससे की ज़मनवर खदान में ना गिरे।



28. अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक द्वारा एवं डीजीएमएस से अनुमति उपरांत ही ब्लास्टिंग का कार्य किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट के तहत तय की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होने वाले क्षेत्रों में नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. मई 2020 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. सम्पूर्ण क्लस्टर के भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को भी समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट (पी.सी.यू. प्रतिघंटा) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. उत्खनन हेतु पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के उत्खनित क्षेत्र का उल्लेख करते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
7. भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की



अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

12. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपधारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
13. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
14. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
15. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरीक्षित कर प्रस्तुत किया जाए।
16. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

4. मेसर्स श्रीचंद चाचरा (कलकसा लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-कलकसा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1392) ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 163088/2020, दिनांक 12/09/2020 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 72180/2020, दिनांक 08/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कलकसा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 240/2 एवं 241, कुल क्षेत्रफल-0.647 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 5,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2094, दिनांक 23/02/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिव्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अखिलेश टुरहाटे, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री सुभाष कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 240/2 एवं 241, कुल क्षेत्रफल-0.647 हेक्टेयर, क्षमता-5,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी।


ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के ज्ञापन क्रमांक 8/ख.लि.02/2022, दिनांक 19/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2016-17	4.822
2017-18	4.978
2018-19	4.990
2019-20	4.820
2020-21	निरंक
2021-22	निरंक

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बल्देवपुर का दिनांक 15/09/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - मॉडिफाइड क्वारी प्लान (एलांग विथ इन्हायरोन्मेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.) संचालनाय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 4793/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 16/09/2022 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1586/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 29/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 13 खदानें, क्षेत्रफल 13.523 हेक्टेयर है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 971/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 08/06/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बाघ, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
- भू-स्वामित्व - भूमि श्री अखिलेश टुरहाटे के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- लीज का विवरण - पूर्व में लीज श्री सत्यवान कुकरेजा के नाम पर थी। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/02/2007 से 01/02/2012 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 02/02/2012 से 01/02/2017 तक की अवधि हेतु की गई थी। लीज का हस्तांतरण दिनांक 30/04/2014 को श्री श्रीचंद चाचरा के नाम पर किया गया। तत्पश्चात लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/02/2017 से 01/02/2037 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
- डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।



10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.दि./न.क्रं. 25/1770 खैरागढ़, दिनांक 07/06/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 4.1 कि.मी. की दूरी पर है।
11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-कलकसा 600 मीटर, स्कूल ग्राम-कलकसा 600 मीटर, एवं अस्पताल खैरागढ़ 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। अमनेर नदी 5 कि.मी. दूर है।
12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,45,575 टन, माईनेबल रिजर्व 54,202 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 27,996 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,082 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है एवं कुल मात्रा 3,300 घनमीटर है, जिसमें से 3,100 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को पूर्व में उत्खनित किया जा चुका है। शेष 200 घनमीटर ऊपरी मिट्टी का उपयोग लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में वृक्षारोपण हेतु किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5.59 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,000
द्वितीय	5,000
तृतीय	5,000
चतुर्थ	5,000
पंचम	5,000

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी 480 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-



विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री में (480 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	36,480	3,648	3,648	3,648	3,648
	फॉसिंग हेतु राशि	93,300	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	3,600	360	360	360	360
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	2,66,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 12,79,412		3,99,360	2,20,008	2,20,008	2,20,008	2,20,008

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 2,806 वर्गमीटर है, जिसमें से पूर्व दिशा में 337.5 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर, पश्चिम दिशा में 82.5 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर, उत्तर दिशा में 675 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर एवं दक्षिण दिशा में 1,125 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित संशोधित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का घोर उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक VIII (b) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर, 2020 से दिसम्बर, 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सान्द्रण लेवल :-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	25.32	44.77	60

PM ₁₀	47.22	67.15	100
SO ₂	7.24	14.68	80
NO ₂	11.31	20.33	80

- iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:— ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।
- iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	47.89	54.87	75
Night L _{eq}	32.1	46.21	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. पी.सी.यू. की गणना:— भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 3 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 51 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.04 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है। समिति का मत है कि राज्यमार्ग क्रमांक 5 में सम्पूर्ण क्लस्टर के भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को भी समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट (पी.सी.यू. प्रतिघंटा) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- vi. जी.एल.सी. की गणना -

Contributed Concentration Levels Particulate Matter (AMBIENT INCLUDED MINING ACTIVITY) For PM ₁₀					
S. No.	Activity in the mine	Maximum Baseline Concentration GLCs (µg/m ³) at core area	Calculated GLCs (µg/m ³)	Resultant Concentration GLCs (µg/m ³)	Limit (Industrial, Rural and other area) (µg/m ³)
1.	Overall Activities with control ROM (Drilling, Loading/ Unloading, Crushing, Transportation)	67.15	11	78.15	100
2.	Overall Activities with uncontrol ROM (Drilling, Loading/ Unloading, Crushing, Transportation)		30	97.15	
3.	ROM: Blasting		1.1	68.25	

19. लोक सुनवाई दिनांक 15/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान - ग्राम पंचायत भवन कलकसा, ग्राम-कलकसा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव के प्रांगण में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 11 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 11 खदानों द्वारा सामूहिक रूप से जनसुनवाई कराया गया है। जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- i. पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य अतिशीघ्र करने की कृपा करें। लीज समाप्त होने के बाद खदान को खुला ही छोड़ देते हैं तो उस खदान के चारो तरफ तार काटो का घेरा किया जाना चाहिए। पूर्व में खदान में 5-7 जानवर गिर चुके हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है।
- ii. हैवी ब्लास्टिंग से पत्थर के टुकड़े के खेत में चले जाते हैं एवं ब्लास्टिंग के पूर्व किसी प्रकार से सूचना नहीं दी जाती है, जिससे खेत में कार्यरत मजदूर शारीरिक क्षति होती है।
- iii. खदान के खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके है। जिस कारण खेतों में पानी नहीं पहुँच पाता। गांव में सिंचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं रुकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।
- iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही ग्राम के निवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- i. प्रदूषण का मुख्य कारण धूल उत्सर्जन है, जिसे रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारो ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा। खदान को चारो तरफ से कटीले तारों से घेरा जाएगा जिससे की जानवर खदान में ना गिरे।
- ii. अनुभवी कांटेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी।
- iii. हमारे द्वारा नालियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा तथा खदान में जो पानी भरा हुआ है उसे भी सिंचाई के लिए प्रदान करेंगे।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। ग्रामिणों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।

21. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती हैं। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:-

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
3.7 कि.मी. पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (2,467 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,98,292	18,772	18,772	18,772	18,772
	फेंसिंग हेतु राशि	19,73,600	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	18,600	1,860	1,860	1,860	1,860
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	13,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000
कुल राशि = 70,93,020		35,54,492	8,84,632	8,84,632	8,84,632	8,84,632

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
173 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (115 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	8,740	912	912	912	912
	फेंसिंग हेतु राशि	1,17,000	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	870	90	90	90	90
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	40,274	40,274	40,274	40,274	40,274
कुल राशि = 3,31,988		1,66,884	41,276	41,276	41,276	41,276

22. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु

R. Singh

संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

23. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at nearby, Village-Kalkasa	
			Pavitra Van Nirman	12.93
			Total	12.93

24. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 नग पौधों के लिए राशि 60,800 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 70,000 रुपये, खाद के लिए राशि 6,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,66,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,02,800 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,90,720 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कलकसा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 153, क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
25. लीज क्षेत्र के चारों ओर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में) वृक्षारोपण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर निजी भूमि में भण्डारित कर संरक्षित रखने हेतु अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक द्वारा एवं डीजीएमएस से अनुमति उपरांत ही ब्लास्टिंग का कार्य किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मनेजमेंट के तहत तय की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. सम्पूर्ण क्लस्टर के भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को भी समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट (पी.सी.यू. प्रतिघंटा) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
8. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
9. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किये जाने के कारण नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
10. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
11. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःशिक्षित कर प्रस्तुत किया जाए।

12. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही, संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

5. मेसर्स कलकसा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्रीमती सुमन सिंह), ग्राम-कलकसा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1283)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 151051/2020, दिनांक 07/04/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 72259/2021, दिनांक 11/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाइनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कलकसा, तहसील-खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 476 एवं 482/1, कुल क्षेत्रफल-0.566 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 7,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 161, दिनांक 12/04/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्व्हायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री देवाशीष सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री सुभाष कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य

कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 476 एवं 482/1, कुल क्षेत्रफल - 0.566 हेक्टेयर, क्षमता-7,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/589/ख.लि.01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 27/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2016-17	निरंक
2017-18	6,500
2018-19	4,200
2019-20	680
2020-21	निरंक (दिसम्बर 2020 तक)

समिति का मत है कि जनवरी 2021 के उपरांत भी उत्खनन कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है। अतः जनवरी 2021 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कलकसा का दिनांक 21/12/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन योजना - मॉडिफाइड क्वारी प्लान (एलांग विथ इन्वायरोन्मेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन

क्र. 1806/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 13/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 173/ख.लि.03/2021 राजनांदगांव, दिनांक 21/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 12 खदानें, क्षेत्रफल 12.105 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों के कुल क्लस्टर क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। इस संबंध में समिति का मत है कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/6246/ख.लि.02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 22/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्रीमती सुमन सिंह के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 08/10/2010 से 07/10/2020 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 08/10/2020 से 07/10/2040 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./5357 खैरागढ़, दिनांक 10/12/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-कलकसा 900 मीटर, स्कूल ग्राम-बल्देवपुर 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल खैरागढ़ 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.7 कि.मी. दूर है। तालाब 1.7 कि.मी. दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,27,350 टन, माईनेबल रिजर्व 46,980 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 12,920 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,659 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है एवं कुल मात्रा 3,000 घनमीटर है, जिसमें से 1,200 घनमीटर

ऊपरी मिट्टी पूर्व से उत्खनित किया जा चुका है। शेष 1,800 घनमीटर ऊपरी मिट्टी का उपयोग लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में वृक्षारोपण हेतु किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 4.85 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	7,000
द्वितीय	7,000
तृतीय	7,000
चतुर्थ	7,000
पंचम	6,000

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी 424 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
खदान के बाउण्ड्री में (424 नग) वृक्षारोपण हेतु					
वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	32,224	3,192	3,192	3,192	3,192
फेंसिंग हेतु राशि	84,700	-	-	-	-
खाद हेतु राशि	3,180	300	300	300	300
सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	2,66,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 12,64,072	3,86,104	2,19,492	2,19,492	2,19,492	2,19,492

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 2,859 वर्गमीटर है, जिसमें से कुछ भाग का ऊपरी मिट्टी उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का घोर उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to

Bl

arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry Irrespective of the stipulation made in approved mine plan.

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर, 2020 से दिसम्बर, 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सान्द्रण लेवल :-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	25.32	44.77	60
PM ₁₀	47.22	67.15	100
SO ₂	7.24	14.68	80
NO ₂	11.31	20.33	80

- iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, फ्लोराईट, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	47.89	54.87	75
Night L _{eq}	32.1	46.21	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. पी.सी.यू. की गणना:- भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हेवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 3 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 51 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.04 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है। समिति का मत है कि राज्यमार्ग क्रमांक 5 में सम्पूर्ण क्लस्टर के भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हेवी वाहनों को भी समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट

(पी.सी.यू. प्रतिघंटा) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

vi. जी.एल.सी. की गणना –

Contributed Concentration Levels Particulate Matter (AMBIENT INCLUDED MINING ACTIVITY) For PM ₁₀					
S. No.	Activity In the mine	Maximum Baseline Concentration GLCs (µg/m ³) at core area	Calculated GLCs (µg/m ³)	Resultant Concentration GLCs (µg/m ³)	Limit (Industrial, Rural and other area) (µg/m ³)
1.	Overall Activities with control ROM (Drilling, Loading/ Unloading, Crushing, Transportation)	67.15	11	78.15	100
2.	Overall Activities with uncontrol ROM (Drilling, Loading/ Unloading, Crushing, Transportation)		30	97.15	
3.	ROM: Blasting		1.1	68.25	

18. लोक सुनवाई दिनांक 15/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन कलकसा, ग्राम-कलकसा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव के प्रांगण में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 11 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 11 खदानों द्वारा सामूहिक रूप से जनसुनवाई कराया गया है। जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य अतिशीघ्र करने की कृपा करें। लीज समाप्त होने के बाद खदान को खुला ही छोड़ देते हैं तो उस खदान के चारो तरफ तार काटो का घेरा किया जाना चाहिए। पूर्व में खदान में 5-7 जानवर गिर चुके हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है।
- हैवी ब्लास्टिंग से पत्थर के टुकड़ों के खेत में चले जाते हैं एवं ब्लास्टिंग के पूर्व किसी प्रकार से सूचना नहीं दी जाती है, जिससे खेत में कार्यरत मजदूर शारीरिक क्षति होती है।
- खदान के खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके है। जिस कारण खेतों में पानी नहीं पहुँच पाता। गांव में सिंचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं रुकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो



बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।

- iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही ग्राम के निवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- प्रदूषण का मुख्य कारण धूल उत्सर्जन है, जिसे रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारों ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा। खदान को चारों तरफ से कटीले तारों से घेरा जाएगा जिससे की जानवर खदान में ना गिरे।
- अनुभवी कांटेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी।
- हमारे द्वारा नालियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा तथा खदान में जो पानी भरा हुआ है उसे भी सिंचाई के लिए प्रदान करेंगे।
- शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। ग्रामिणों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।

20. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
3.7 कि.मी. पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (2,467 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,98,292	18,772	18,772	18,772	18,772
	फेंसिंग हेतु राशि	19,73,800	-	-	-	-
	खाद हेतु राशि	18,600	1,860	1,860	1,860	1,860
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	13,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000
कुल राशि = 70,93,020		35,54,492	8,84,632	8,84,632	8,84,632	8,84,632

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
151 मीटर मार्ग के	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन	7,600	760	760	760	760

दोनों तरफ (100 नग) वृक्षारोपण हेतु	दर) हेतु राशि					
	फॉसिंग हेतु राशि	80,000	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	750	90	90	90	90
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	60,232	35,232	35,232	35,232	35,232
कुल राशि = 2,92,910		1,48,582	36,082	36,082	36,082	36,082

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at nearby, Village-Kalkasa	
			Pavitra Van Nirman	12.94
			Total	12.94

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 789 नग पौधों के लिए राशि 59,964 रूपये, फॉसिंग के लिए राशि 65,500 रूपये, खाद के लिए राशि 5,910 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,66,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,97,374 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,97,496 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कलकसा के सहमति उपरांत यथायोग्य

Bh...

स्थान (खसरा क्रमांक 153, क्षेत्रफल 0.493 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

24. लीज क्षेत्र के चारों ओर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में) वृक्षारोपण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर निजी भूमि में भण्डारित कर संरक्षित रखने हेतु, अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक द्वारा एवं डीजीएमएस से अनुमति उपरांत ही ब्लास्टिंग का कार्य किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. कॉमन इन्ड्हायरोमेंटल मैनेजमेंट के तहत तय की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. जनवरी 2021 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. सम्पूर्ण क्लस्टर के भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को भी समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट (पी.सी.यू. प्रतिघंटा) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
9. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
10. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
11. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरीक्षित कर प्रस्तुत किया जाए।
12. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर तथा जल संसाधन विभाग को पत्र लेख किया जाए।

6. मेसर्स सुखरी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.- श्री निर्मल कुमार साह), ग्राम-सुखरी, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2003)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 268459/ 2022, दिनांक 27/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/04/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 09/06/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-सुखरी, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 823/11, कुल क्षेत्रफल – 1.773 हेक्टेयर में

प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 500 घनमीटर प्रतिवर्ष (ईट उत्पादन क्षमता 5,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निर्मल कुमार साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सुखरी का दिनांक 12/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (ख.प्र.), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 508/ख.लि. - 2/2022 रायगढ़, दिनांक 23/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक/635/खनिज/खलि.3/2022, अंबिकापुर, दिनांक 30/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक/636/खनिज/खलि.3/2022 अंबिकापुर, दिनांक 30/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भू-स्वामित्व - भूमि श्री जगरनाथ के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. श्री निर्मल कुमार साहू के नाम पर है। जो कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अंबिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/1399/ख.लि.1/खनिज/न.क्र.19/2020 अंबिकापुर, दिनांक 11/08/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अंबिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./817 अंबिकापुर, दिनांक

27/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर है।

10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-सुखरी 1.3 कि.मी., स्कूल ग्राम-सुखरी 1.4 कि.मी. एवं अस्पताल बनकीपुर 4.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5.8 कि.मी. दूर है। घुनघुट्टा नदी 478 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व 35,460 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 28,870 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 27,426 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 650 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	500	5,00,000	षष्ठम	500	5,00,000
द्वितीय	500	5,00,000	सप्तम	500	5,00,000
तृतीय	500	5,00,000	अष्टम	500	5,00,000
चतुर्थ	500	5,00,000	नवम	500	5,00,000
पंचम	500	5,00,000	दशम	500	5,00,000

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में लीज क्षेत्र के कुछ भाग में किल्ल एवं चिमनी स्थापित है। उनके द्वारा स्थापित किल्ल एवं चिमनी का स्थान परिवर्तन कर लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.52 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल आपूर्ति हेतु स्रोत एवं संबंधित विभाग/शाखा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
15. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 330 नग वृक्षारोपण किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 6,600 रुपये, फॉसिंग के लिए राशि 70,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये, जल छिड़काव एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रुपये, इस प्रकार

कुल राशि 1,27,600 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 1,99,600 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at nearby, Village-Sukhari	
			Pavitra Van Nirman	2.98
			Total	2.98

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 95,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,03,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सुखरी के सहमति उपरांत सुखरी के पहुँच मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत सुखरी के पहुँच मार्ग के दोनों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल एवं खसरा सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. ईट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश की मात्रा एवं जनित ऐश, रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. प्रस्तावित लीज क्षेत्र से निकटतम ईट भट्ठा की चिमनी की दूरी एवं समीपस्थ आबादी की दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
20. जिग-जैग किलन स्थापित किये जाने बाबत शपथ पत्र एवं जिग-जैग किलन के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज में निकटतम आबादी ग्राम-सुखरी 1.3 कि.मी. बताया गया है, जबकि प्रस्तुतीकरण के दौरान गूगल अर्थ से मापन किये जाने पर निकटतम आबादी ग्राम-सुखरी की दूरी 770 मीटर पाया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से निकटतम आबादी ग्राम-सुखरी की वास्तविक दूरी की प्रमाणिक जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
 2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से निकटतम आबादी ग्राम-सुखरी की वास्तविक दूरी की प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
 3. जल आपूर्ति हेतु स्रोत एवं संबंधित विभाग/शाखा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
 4. किल्ल एवं चिमनी के स्थान परिवर्तन के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 5. जिग-जैग पद्धति/वर्टिकल शॉफ्ट विधि या पाईप विधि (नैचुरल गैस) स्थापित किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जिग-जैग किल्ल के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
 6. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं सेपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 10. प्रस्तावित लीज क्षेत्र से निकटतम ईट भट्टा एवं आबादी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
 11. ईट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश की मात्रा एवं जनित ऐश, रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
 12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
 13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
 14. सी.ई.आर. के अंतर्गत सुखरी के पहुँच मार्ग के दोनों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल एवं खसरा सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
- उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
- परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।



7. मेसर्स लांची स्टोन क्वारी, (प्रो.- श्री बांके बिहारी अग्रवाल), ग्राम-लांची, तहसील व जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2074)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 277610/2022, दिनांक 10/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम-लांची, तहसील व जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1235 एवं 1237, कुल क्षेत्रफल-0.36 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,581 टन (992.6 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अश्विन टेम्बेकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1235 एवं 1237, कुल क्षेत्रफल-0.36 हेक्टेयर, क्षमता-992.6 घनमीटर (2,581 टन) प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण-समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-सूरजपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- निर्धारित शर्तानुसार 100 नग वृक्षारोपण किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 311/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 18/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	उत्पादन (टन)
2017	450	1,170
2018	455	1,183
2019	736	1,914
2020	278	723
दिनांक 01/01/2021 से 30/09/2021 तक	निरंक	निरंक
नोट: जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12/02/2020 की समाप्ति के पश्चात् उत्खनन कार्य बंद है।		

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लांची का दिनांक 21/07/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर विथ इन्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 71/खनिज/2016 सूरजपुर, दिनांक 09/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 8389/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 10/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 8389/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 10/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री बांके बिहारी अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 14/09/2000 से 13/09/2010 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 14/09/2010 से 13/09/2020 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 14/09/2020 से 13/09/2030 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./591 सूरजपुर, दिनांक 05/02/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-बेलदुकरी 610 मीटर, स्कूल ग्राम-लांची 950 मीटर एवं अस्पताल सूरजपुर 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 22.15 कि.मी. दूर है। रेहर नदी 1.7 कि.मी., नहर 1.12 कि.मी. एवं मौसमी नाला 1.35 कि.मी. दूर है। केतका रिजर्व फॉरेस्ट 1.2 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 71,825 टन, माईनेबल रिजर्व 27,063 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 24,357 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 66,280 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 19,367 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,362 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट

सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। भू-तल से उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है एवं पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊँचाई 2.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,033.13 घनमीटर है, जिसमें से 828 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग तथा शेष ऊपरी मिट्टी 1,205.13 घनमीटर को लीज क्षेत्र से बाहर सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 1664, क्षेत्रफल 0.348 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित किया जाएगा। बेंच की ऊँचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,170	षष्ठम	1,560
द्वितीय	1,183	सप्तम	1,599
तृतीय	2,232.88	अष्टम	2,125.5
चतुर्थ	2,301	नवम	2,535
पंचम	2,402.4	दशम	2,581

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 1.92 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
32. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 210 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 100 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 110 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुँच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
खदान के वृक्षारोपण हेतु राशि	1,100	—	—	—	—
बाउण्ड्री में फेंसिंग हेतु राशि (110 नग)	40,000	—	—	—	—
वृक्षारोपण हेतु खाद हेतु राशि	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250
सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
कुल राशि = 4,42,350	1,21,350	80,250	80,250	80,250	80,250

13. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

14. गैर माईनिंग क्षेत्र – लीज क्षेत्र में 168.7 वर्गमीटर क्षेत्र की चौड़ाई संकीर्ण होने के कारण एवं 1.5 मीटर की गहराई के पश्चात् 154.8 वर्गमीटर क्षेत्र की चौड़ाई कम होने के कारण कुल 323.5 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
6.22	2%	0.12	Following activities at Government Primary School at, Village-Lanchi	
			Running Water Arrangement in Toilet	
			Water Tank (Plasto, 1,000L)	0.080
			Pipeline & Instalation and accessories	0.075
			Total	0.155

16. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
17. ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त समीपस्थ भूमि (खसरा क्रमांक 1664, क्षेत्रफल 0.348 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखने, दुरुपयोग, विक्रय नहीं करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने तथा उपरी मिट्टी का उपयोग पुनःभराव कार्य में किये जाने साथ ही निरीक्षणकर्ता / अधिकारी को उनके भ्रमण के दौरान भण्डारित मिट्टी का निरीक्षण कराये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
18. खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब इत्यादि में प्रवाहित नहीं किये जाने एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब इत्यादि का संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
19. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

Bh...

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज में निकटतम आबादी ग्राम-बेलदुकरी 610 मीटर बताया गया है, जबकि प्रस्तुतीकरण के दौरान गूगल अर्थ से मापन किये जाने पर निकटतम आबादी ग्राम-बेलदुकरी की दूरी 117 मीटर पाया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से निकटतम आबादी ग्राम-बेलदुकरी की वास्तविक दूरी की प्रमाणिक जानकारी मंगायी जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से निकटतम आबादी ग्राम-बेलदुकरी की वास्तविक दूरी की प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को भी पत्र लेख किया जाए।

8. मेसर्स बरबसपुर फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री रामानुज चन्द्राकर), ग्राम-बरबसपुर, तहसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2075)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर- एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 69807/ 2021, दिनांक 10/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बरबसपुर, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 193 एवं 187/2, कुल क्षेत्रफल-0.65 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 3,356.25 टन (1,342.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री वेदप्रकाश चन्द्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 187/2 एवं 193, कुल क्षेत्रफल – 0.65 हेक्टेयर, क्षमता – 1,342.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-महासमुंद द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1156/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 19/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	284
2018	443
2019	382
2020	290

दिनांक 01/01/2021 से दिनांक 30/09/2021	435
दिनांक 01/10/2021 से दिनांक 31/03/2022	345

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 14/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्क्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 864/क./ख.लि./न.क्र./2016 महासमुन्द, दिनांक 28/05/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क./खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.95 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1309/क./खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 31/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 193 श्री मनोज कुमार एवं खसरा क्रमांक 187/2 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. **लीज का विवरण** – लीज श्री रामानुज चंद्राकर के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 04/01/2014 से 03/01/2024 तक की अवधि हेतु वैध है। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 03/01/2024 से 02/01/2044 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/1448 महासमुंद, दिनांक 25/04/2012 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 11 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-बरबसपुर 1.15 कि. मी., स्कूल ग्राम-बरबसपुर 1.4 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 8.55 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14.9 कि.मी. दूर है। महानदी 340 मीटर, नहर 620 मीटर एवं बरसाती नाला 890 मीटर की दूरी पर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,36,597 टन, माईनेबल रिजर्व 42,453 टन एवं रिकव्हेरेबल रिजर्व 31,840 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,31,150 टन एवं माईनेबल रिजर्व 37,006 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,165 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,480 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	छत्तीसगढ़ लघु खनिज नियम, 2015 के लागू होने से पहले उत्पादन किया जा चुका है।
द्वितीय	
तृतीय	2,681.25
चतुर्थ	2,973.75
पंचम	3,030.00
षष्ठम	3,131.25
सप्तम	3,356.25
अष्टम	3,525.00
नवम	3,735.00
दशम	3,891.25

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.59 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 210 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 130 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 80 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 235 वर्गमीटर क्षेत्र की चौड़ाई कम होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। साथ ही लीज क्षेत्र में 398 वर्गमीटर क्षेत्र में 3 मीटर की गहराई के पश्चात् उत्खनन नहीं किया जाएगा। उपरोक्त का उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।
16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,165 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 668 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।



17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम-घोड़ारी, बरबसपुर एवं मुढेना, तहसील व जिला-महासमुंद क्षेत्र में 95 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम-घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम-बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम-घोड़ारी एवं मुढेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक-दूसरे में ओवरलैप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10-10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

20. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श चरणोंत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) महासमुंद, जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.95 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बरबसपुर) का रकबा 0.65 हेक्टेयर है। इस

प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।


2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेप्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.



- vii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xiii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।



एजेन्डा आयटम क्रमांक-3: परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स लखना सेण्ड माईन (प्रो.- श्री अनिकेत सिंह राठौर), ग्राम-लखना, तहसील-अमनपुर, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1948ए)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 258318/2022, दिनांक 24/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-लखना, तहसील-अमनपुर, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 866, कुल क्षेत्रफल - 3 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की उत्खनन क्षमता - 59,968 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -


(अ) समिति की 409वीं बैठक दिनांक 25/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुधीर अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में सचिव, ग्राम पंचायत कोलियारी(ल.) को रेत खदान खसरा क्रमांक 866, कुल क्षेत्रफल-3 हेक्टेयर, क्षमता-60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-रायपुर द्वारा दिनांक 26/02/2018 को जारी की गई, जो जारी दिनांक से 3 वर्ष की अवधि हेतु वैध थी।
- ii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/12/2019 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोलियारी(ल.) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री अनिकेत सिंह राठौर के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।
- iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2111/ख.लि./तीन-6/2022 रायपुर, दिनांक 30/03/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2019-20	1,000



2020-21	12,000
2021-22 (दिनांक 24/02/2022 तक)	13,000

- vi. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरान्त भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall be deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry of validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है।

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोलियारी का दिनांक 15/06/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
- उत्खनन योजना - रिवाइज्ड माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 657/खनि 02/रेत/उ.यो.अनु./न.क्र. 01/2022 नवा रायपुर, दिनांक 18/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक/1785, दिनांक 23/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक/1783, दिनांक 23/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **लीज डीड का विवरण** – लीज श्री अनिकेत सिंह राठौर के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन दिनांक 04/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि दिनांक 04/01/2020 से दिनांक 03/01/2022 तक थी, तत्पश्चात् एक वर्ष अर्थात् दिनांक 04/01/2022 से 03/01/2023 तक की अवधि हेतु विस्तारित किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-लखना 300 मीटर, स्कूल ग्राम-लखना 300 मीटर एवं अस्पताल नवापारा 4.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.85 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.45 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 1,165 मीटर, न्यूनतम 1,070 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 203 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 201 मीटर, न्यूनतम 103 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 125 मीटर, न्यूनतम 67 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5.08 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 59,968 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.08 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारो ओर में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रीड बिन्दुओं पर दिनांक 24/12/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।
14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-




Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
31.5	2%	0.63	Following activities at Nearby Govt. Primary School, Village- Lakhna	
			Drinking water arrangement with filter & its AMC	
			Water tank (1,000 litre)	0.1
			Pump (1HP)	0.1
			Pipeline & Installation	0.1
			UV Water Filter (50 litre)	0.15
			5 Year AMC	0.1
			Running water arrangement in toilet	
			Water tank (500 litre)	0.075
			Pipeline & Installation	0.125
Total		0.75		

15. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
16. गैर माईनिंग क्षेत्र – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 1165 मीटर, न्यूनतम 1070 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी अधिकतम 125 मीटर, न्यूनतम 67 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 4,750 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 2.525 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
17. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:--

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।



2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 15/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संदर्भ में एम.ओ.ई.एफ. के ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक F.No. IA3-22/10/2022-IA.III [E 177258], दिनांक 08/06/2022 का उल्लेख करते हुए परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि उनका प्रकरण पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के वैधता अवधि विस्तार का प्रकरण है। अतः उक्त प्रकरण पर पुनः विचार करते हुए पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त करने हेतु जारी निर्देश को निरस्त कर, स्वप्रमाणित कर प्रस्तुत किये गए पर्यावरण स्वीकृति-के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही को स्वीकार करते हुए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स मुढीपार लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री राजेश चंद्राकर), ग्राम-मुढीपार, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2011)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर- एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 268456/2022, दिनांक 02/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मुढीपार, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक - 311 एव 312, कुल क्षेत्रफल-1.064 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता- 20,000 टन (8,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 420वीं बैठक दिनांक 23/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सौरभ चन्द्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुढीपार का दिनांक 18/01/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान (एलॉग विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान ऐण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 1810/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 13/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/816/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/04/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/816/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. मू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 311 श्री सौरभ चन्द्राकर एवं खसरा क्रमांक 312 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण- एल.ओ.आई. श्री राजेश चन्द्राकर के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक

149/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 21/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्र. 10-1/2021/7362 राजनांदगांव, दिनांक 10/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 300 मीटर की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम- मुढीपार 100 मीटर, स्कूल मुढीपार 700 मीटर एवं अस्पताल राजनांदगांव 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.5 कि.मी. दूर है। तालाब 1.2 कि.मी. की दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड. एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,98,000 टन (3,19,200 घनमीटर), भाईनेबल रिजर्व 2,98,245 टन (1,19,298 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,83,335 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,891 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है एवं मात्रा 7,000 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	20,000
द्वितीय	20,000
तृतीय	20,000
चतुर्थ	20,000
पंचम	20,000

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं

सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन नहीं किया गया है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Nearby Private Land Village- Murhipar	
			Plantation with fencing	1.06
			Total	1.06

सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण किये जाने हेतु आवेदित ग्राम-मुढीपार में शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 311 एवं 312, क्षेत्रफल 0.2 हेक्टेयर) में वृक्षारोपण हेतु (आम एवं नीम के पौधे) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 37,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 25,000 रुपये, सिंचाई, खाद के लिए राशि 20,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,06,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

17. ग्राम मुढीपार शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये गये वृक्षारोपण के पश्चात् भूमि विक्रय नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. गार्डनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मात्रा 7,000 घनमीटर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उक्त ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (2,891 वर्गमीटर) की सीमा पट्टी में भंडारित कर वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि सुरक्षा के कारणों से ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1 मीटर की ऊंचाई से अधिक रखा जाना संभव नहीं है। अतः ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
20. प्रस्तावित लीज क्षेत्र में जीवित वृक्षों की संख्या उनकी प्रजाति सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-



1. प्रस्तावित लीज क्षेत्र में जीवित वृक्षों की संख्या उनकी प्रजाति सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. ग्राम मुढीपार शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये गये वृक्षारोपण के पश्चात् भूमि विक्रय नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
8. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।


तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:



समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. प्रस्तावित लीज क्षेत्र में 2 नग छीन, 2 नग करंज, 2 नग नीम, 1 नग बबूल, 1 नग आम, 1 नग बेर, एवं 1 नग जाम, इस प्रकार कुल 10 नग वृक्ष हैं।
2. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. ग्राम मुढीपार शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये गये वृक्षारोपण के पश्चात् भूमि विक्रय नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 40,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 25,000 रुपये, सिंचाई एवं खाद के लिए राशि 20,000 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,09,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं सिंचाई, खाद, रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,76,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
9. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया गया है। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
12. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल



के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

13. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEiAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/816/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/04/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-मुढीपार) का क्षेत्रफल 1.064 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स मुढीपार लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री राजेश चंद्राकर) को ग्राम-मुढीपार, तहसील व जिला-राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 311 एवं 312 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.064 हेक्टेयर, क्षमता - 20,000 टन (8,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स सालेपाल सेण्ड स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री संजय मण्डावी), ग्राम-सालेपाल, तहसील-तोकापाल, जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1931)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन / 255708/2022, दिनांक 11/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सेण्ड स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सालेपाल, तहसील-तोकापाल, जिला-बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 187/2 (पार्ट), कुल क्षेत्रफल-4.95 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता- 1,77,305 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 407वीं बैठक दिनांक 10/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/05/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 26/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शाहिद अली, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सालेपाल का दिनांक 16/03/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि क्रशर हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है साथ ही पेसा (PESA) एक्ट के तहत ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलांग विथ इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 383/खनिज/उत्ख.यो./2021-22 दंतेवाड़ा, दिनांक 30/07/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2899/खनिज/ख.लि.4/12/2020-21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 28/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2901/खनिज/ख.लि.4/12/2020-21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 28/12/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - भूमि आवेदक के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1161/ खनिज/ ख.लि.4/ 12/2020-21/खनिज/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 27/05/2021 द्वारा जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की

वैधता वृद्धि संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 2923/खनि 02/उ.प.-अनु.निष्पा./न.क्र.50/2017(1) नवा रायपुर, दिनांक 03/06/2022 द्वारा जारी की गई है, जो 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 25/05/2023) तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमंडल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/क.त.अ./4552 जगदलपुर, दिनांक 16/12/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर है। आवेदित क्षेत्र में नीलगिरी के 8,430 नग वृक्ष विद्यमान है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि नीलगिरी के जीवित वृक्षों के कटाई के लिये अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। समिति का मत है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही सीमित संख्या में उक्त जीवित वृक्षों की कटाई की जाएगी। इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-सालेपाल 500 मीटर एवं स्कूल ग्राम-सालेपाल 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 12,37,500 टन, माईनेबल रिजर्व 8,82,325 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 8,38,208 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 9,000 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.3 मीटर है तथा कुल मात्रा 11,707.2 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,500 वर्गमीटर होगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,76,250
द्वितीय	1,76,250
तृतीय	1,76,250
चतुर्थ	1,76,250
पंचम	1,77,305

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत भू-जल की

Rh

उपयोगिता हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।


13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 60,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,76,000 रुपये, खाद के लिए राशि 12,000 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,84,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,44,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
43.66	2%	0.87	Following activities at Nearby Govt. Middle School, Village- Salepal	
			Potable Drinking water facility with 5 year AMC	0.40
			Running water arrangement in Toilet & Kitchen	0.50
			Total	0.90

16. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि प्रस्तुत सी.ई.आर. कार्य के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में आलमिरा एवं पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का भी प्रस्ताव शामिल करते हुये सी.ई.आर. कार्य का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. आशय हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरान्त आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई की जाएगी। इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
3. 7.5 मीटर की पट्टीय योजना प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तुत सी.ई.आर. प्रस्ताव के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में आलमिरा, पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का भी प्रस्ताव शामिल करते हुये सी.ई.आर. कार्य का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।



5. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. क्रशर की स्थापना एवं उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सालेपाल का दिनांक 28/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 11,700 घनमीटर है जिसमें से 8,352 घनमीटर ऊपरी मिट्टी का उपयोग लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में वृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जाएगा तथा शेष 3,348 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर क्रशर हेतु प्रस्तावित गैर माईनिंग क्षेत्र में डम्प किये जाने उपरांत क्रशर स्थापित किया जाएगा। साथ ही इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।



4. सी.ई.आर. प्रस्ताव के अंतर्गत प्रस्तावित स्कूल में आलमिरा, पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का भी प्रस्ताव में शामिल करते हुये सी.ई.आर. का संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
44.36	2%	0.88	Following activities at Nearby Govt. Middle School, Village- Salepal	
			Potable Drinking water facility with 5 year AMC	0.40
			Running water arrangement in Toilet & Kitchen	0.50
			Environment related Books	0.10
			Cupboard (Almirah)	0.10
			Total	1.10

5. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
11. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के

पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

12. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2899/खनिज/ख.लि.4/12/2020-21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 28/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-सालेपाल) का क्षेत्रफल 4.95 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स सालेपाल सेण्ड स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री संजय मण्डावी) को ग्राम-सालेपाल, तहसील-तोकापाल, जिला-बस्तर के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 187/2 में स्थित सेण्ड स्टोन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-4.95 हेक्टेयर, क्षमता - 1,77,306 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स एस.एम.एस. वाटरग्रेस इनवॉयरोप्रोटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-सिलतरा, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया के समीप, तहसील-धरसीवां, जिला-रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 2008)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएस / 57429/2020, दिनांक 13/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 76269 / 2020, दिनांक 29/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाइनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत ग्राम-सिलतरा, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया के समीप, तहसील-धरसीवां,

जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 70/1, 70/2 एवं 70/5, कुल क्षेत्रफल - 0.623 हेक्टेयर में Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Incinerator क्षमता - 250 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 750 कि.ग्रा. प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता - 175 लीटर प्रतिबैच से 625 लीटर प्रतिबैच, Shredder क्षमता - 500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 1,500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा एवं Chemical Disinfection Unit क्षमता - 500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 2,500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रूप 2.75 करोड़ है।

एस.ई.ए.सी., छ.ग. के ज्ञापन क्रमांक 2079 दिनांक 22/02/2021 द्वारा प्रकरण बी-1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में कॉमन हार्जर्ड्स वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एण्ड डिस्पोजल फेसिलिटी (टीएसडीएफएस) {Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)} हेतु वर्णित श्रेणी 7(डी) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Incinerator क्षमता - 250 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 750 कि.ग्रा. प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता - 175 लीटर प्रतिबैच से 625 लीटर प्रतिबैच, Shredder क्षमता - 500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 1,500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा एवं Chemical Disinfection Unit क्षमता - 500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 2,500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा हेतु टीओआर जारी किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 420वीं बैठक दिनांक 23/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु डॉ. किशोर मालवीय, डायरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स इनप्रो इन्वायरो टेक एण्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात की ओर से श्री मनन देशाई तथा डॉ. धवल नाईक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- उक्त इकाई को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. जल एवं वायु सम्मति -

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा Common Bio Medical Waste Treatment and Diposal facility of capacity 2 Tonne Per Day हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 29/01/2018 को जारी की गई है, जिसकी सम्मति नवीनीकरण वैधता दिनांक 30/04/2024 तक है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी

क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- समीपस्थ आबादी ग्राम-चरौदा 1.3 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन रायपुर 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.94 कि.मी. दूर है। खारून नदी 3.34 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. भू-स्वामित्व – भूमि मेसर्स एस.एम.एस. वाटरग्रेस इनवॉयरोप्रोटेक (प्रा.लि.) के नाम पर है। भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

5. एरिया स्टेटमेंट –

Description	Total Area (m ²) after proposed expansion	Total Area (%)
Incineration Area	816.64	13.1
Treated Waste Storage Area	172.70	2.8
Sterilization Area	186.56	3.0
Shredder Area	186.56	3.0
ETP Area	88.00	1.4
Haz. Waste Storage Area	88.00	1.4
Vehicle Wash & Parking	154.59	2.5
Yellow/red/Other Waste Storage Area	337.59	5.4
Parking Area	62.20	1.0
Office & control Room	124.40	2.0
Utility Area	50.00	0.8
Other Area	127.57	2.0
Green Belt Area	2,056	33.0
Road & Open Sky Area	1,779.19	28.6
Total	6,230	100

6. ट्रीटमेंट फेसिलिटी –

• **Technical Specifications of Proposed Incinerator**

Incinerator	
Type of Incinerator	"ALFA-THERM" controlled air Oil Fired Incinerator Model BMW-250
Type of Waste	Biomedical Waste
Burning Capacity	250 Kg/Hr x 2 Nos. (Proposed additional).
Auxiliary Fuel	Diesel
Type of Burner Operation	Monoblock / Split type fully automatic burners
Temperature Primary Chamber Secondary Chamber	800 ± 50 °C 1050 ± 50 °C
Primary Chamber	
Type	Static Solid Hearth
Material of Construction	Mild Steel, 12-16 mm thick
Refractory thickness	300 mm thick
Temperature resistance	1400°C
Insulation thickness	115 mm thick
Material	Insulation bricks conforming to IS-2042
Waste Charging	Automatic through Hydraulic Ram Pusher.
Ash Removal	Manual
Secondary Chamber	
Type	Static Furnace connected to primary furnace

Material of Construction	Mild Steel, 10 mm thick
Refractory thickness	115 mm Thick insulation brick and 115 mm x 2 layer of fire brick.
Material	Refractory bricks confirming to IS-8
Temperature resistance	1200°C
Insulation thickness	115 mm
Material	Insulation bricks confirming to IS-2042
Residence time for flue gases	2 seconds

• **Specifications Of Proposed Autoclave**

Specifications	
Model	Single Hinge Door, Automatic Standard model Vacuum Pump with Condenser, Pressure transmitter along with SS Carriage & Trolley
Capacity	450 L X 2 Nos. (Additional)
Size	500 x 500 x 1000 mm each
Working Parameter	
Chamber Working Pressure	1.06 Kg/Cm ²
Jacket Working Pressure	1.5 Kg/Cm ²
Chamber Working Temperature	121°C
Hydro Test	
Chamber	One & half time the working Pressure
Jacket	Twice the Working Pressure
Chamber and Back plate	The Sterilizing Chamber is fabricated from S.S.304 Quality with full argon welding
Jacket	The jacket is fabricated from M.S Quality
Insulation	Resin Bonded Rock wool insulation of 50mm thickness
Sensor	PT 100 sensors are used for PLC and manual control
Manual Backup	The Control System is provided with a manual backup in case of PLC Failure. Here all Valves, Pumps, etc. can be operated with individual Switches

• **Specifications of Proposed Shredder**

Specifications	
Nos.	4 (Additional)
Capacity	250 Kg/hr
Blades	Combined Hook/Shear Blades
Safety Features	a. Auto Reverse System b. Interlocks to avoid aerosolizing. c. Low Noise, Non Ballistic. d. Auto Shut Off.

7. प्रस्तावित एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन संबंधी विवरण:-

Facility Name	Existing Capacity	Proposed Expansion Capacity	Proposed Capacity After Expansion
Incinerator	1 x 250 Kg/Hr	2 x 250 Kg/Hr	3 x 250 Kg/Hr
Autoclave	1 x 175 Liter/Batch	2 x 450 Liter/Batch	1 x 175 + 2 x 450 Liter/Batch
Shredder	2 x 250 Kg/Hr	4 x 250 Kg/Hr	6 x 250 Kg/Hr
Chemical Disinfection Unit	1 x 500 Kg/Hr	1 x 2,000 Kg/Hr	1 x 500 + 1 x 2,000 Kg/Hr

8. हजाडर्स एवं ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था -

Hazardous & Solid Waste Management					
CAT. NO.	Type of Hazardous And Other Waste	Source	Total Quantity Generated for Proposed expansion (Kg/Day)		Method of Disposal
			Existing	Proposed	
36.2	Ash	Incinerator	250	1,000	Sent to CHWT/SDF site/secured landfilling
34.3	ETP Sludge	ETP area	70	200	Sent to CHWT/SDF site/secured landfilling
-	Plastic Waste after Autoclave and shredding	Shredder	800	2,200	Sent to Authorized Recyclers
-	Glass and metallic body implants After Autoclave	Autoclave	420	1,250	Sent to Authorized Recyclers
-	Metal Sharps after Autoclave and Shredding	Shredding	50	150	Sent to foundry for metal recovery / TSDF site
5.1	Waste oil	From Plant & Machineries	As generated	As generated	Sent to Authorized Recyclers
-	Used batteries	-	As generated	As generated	Sent to Authorized Recyclers
Non-Hazardous Waste					
-	STP Sludge	From STP	As generated	As generated	Reused as manure in gardening

9. जैव अपशिष्ट प्रबंधन -

S.No.	Category	Types of Waste	Collection method
01.	Yellow	Human Anatomical Waste Animal Anatomical Waste Soiled Waste Expired Discarded Medicines Chemical Waste Chemical Liquid Waste Discarded linen mattress, Building contaminated with blood or body fluid Microbiology, Biotechnology and other clinical laboratory waste	Yellow coloured non-chlorinated plastic bags
02	Red	Contaminated waste (recyclable)	Red coloured non-chlorinated plastic bags
03	White	Waste Sharps	Puncture proof, leak proof, tamper proof containers
04	Blue	Glass wares, metallic body implants	Cardboard boxes with blue coloured marking

पीले श्रेणी के अपशिष्ट को इन्सिनेरेटर में भेजा जाकर उपचार किया जाता है। उपचार उपरांत जनित ऐश को टीएसडीएफ को प्रदाय किया जाता है। लाल श्रेणी के अपशिष्ट को ऑटोक्लेव उपरांत शेडर में भेजा जाता है। शेडिंग से प्राप्त अपशिष्ट को अधिकृत रिसायक्लर को प्रदाय किया जाता है। नीले श्रेणी के अपशिष्ट को डिटर्जेंट से उपचार कर सोडियम हाइपोक्लोराइट से डिसइन्फेक्शन किया जाता है। डिसइन्फेक्शनर उपरांत प्राप्त दूषित जल को

Photo

ईटीपी में भेजा जाता है। सफेद श्रेणी के अपशिष्ट को ऑटोक्लेव/स्टेरेलाइजेशन उपरांत शेडर में भेजा जाता है। शेडिंग से प्राप्त अपशिष्ट को अधिकृत रिसायक्लर/मेटल रिकव्हररी ईकाई/टीएसडीएफ को प्रदाय किया जाता है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनायी जाएगी।

10. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- **जल खपत एवं स्रोत** - वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 14.8 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 0.5 घनमीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग हेतु 0.7 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 13.6 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 55.8 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग हेतु 8.7 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 45.1 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड के माध्यम से की जाती है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनायी जाएगी।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** - वर्तमान में परियोजना से औद्योगिक दूषित जल कुल 6.1 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होता है। क्षमता विस्तार उपरांत उत्पन्न घरेलू दूषित जल की मात्रा 1 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक दूषित जल की मात्रा 22.7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। वर्तमान में औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ईफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 20 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना किया गया है। क्षमता विस्तार उपरांत घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 02 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ईफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 25 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना किया किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार उपरांत जल का उपयोग वृक्षारोपण, डस्ट सप्रेसन आदि में उपयोग किया जाएगा। ईफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत कलेक्शन कम एक्वालाइजेशन टैंक, फ्लैश मिक्सर एवं फ्लोकुलेटर, प्राईमरी सेटलिंग टैंक, एरिएशन टैंक, सेकण्डरी सेटलिंग टैंक, इंटरमिटेंट स्टोरेज टैंक, पंप, स्लज ड्राईंग बेड, पी.एस.एफ. एवं ए.सी.एफ., डिसइन्फेक्शन फेसिलिटी (सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग डिसइन्फेक्टेंट मीडिया की तरह किया जाएगा), ट्रीटेड वेस्ट वॉटर टैंक आदि स्थापित है। ईफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट उपचारित दूषित जल को पुनः रिसाईकल कर उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी।
- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** - उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 4,689 घनमीटर है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रेक्टेंगुलर आर.सी.सी. टैंक (लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था तथा स्थापित रिजर्वायर से परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सके। सभी रिचार्ज

Bh

स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाए कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। अतः स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – स्थापित एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:-

Facility Name	Pollution Control System		
	Fuel	Equipment	Stack height (In M)
Incinerator Existing (1 x 250 Kg/Hr)	Diesel/LDO	APC Consisting of Venturi & Packed Bed Scrubber	30
DG Set Existing (1 x 100 KVA)	Diesel/LDO (30 Lit/Hr)	Stack attached to DG set	3
Incinerator Proposed	Diesel/LDO	APC Consisting of Gas Quencher Ventury Scrubber, Packed Bed Scrubber along with stack	30
DG Set Proposed (2 x 100 KVA)	Diesel/LDO (30 Lit/Hr)	Stack attached to DG set	3

वर्तमान में पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा गया है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर, नाईट्रोजन ऑक्साईड्स का उत्सर्जन 400 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर, एच.सी.एल. 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। अतिरिक्त चिमनी की स्थापना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है।

12. परिवहन व्यवस्था – जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार उपरांत भी अपनाई जाएगी।
13. विद्युत खपत एवं स्रोत – क्षमता विस्तार उपरांत 250 मेगावॉट विद्युत खपत होना संभावित है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु वर्तमान में 100 केव्हीए का 1 नग डी.जी. सेट स्थापित है। क्षमता विस्तार उपरांत वैकल्पिक व्यवस्था हेतु अतिरिक्त 100 केव्हीए का 1 नग डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।
14. वृक्षारोपण की स्थिति – कुल क्षेत्रफल में से लगभग 2,056 वर्गमीटर (लगभग 33 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त समीपस्थ स्टडी एरिया में 437 वर्गमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा। वृक्षों की प्रजाति का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 350 नग पौधों के लिए राशि 2,50,000 रुपये, खाद के लिए राशि 20,000 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 2,20,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष के लिए कुल राशि 4,90,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों के लिए कुल राशि 11,10,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।



15. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य 1 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 7 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सान्द्रण लेवल:-


Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	28	66	60
PM ₁₀	59	108	100
SO ₂	3	17.1	80
NO _x	10.2	24.3	80

- परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, फ्लोराईट, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।
- परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	43.6	72.3	75
Night L _{eq}	35.7	65.8	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- लोक सुनवाई दिनांक 11/11/2021 प्रातः 10:30 बजे स्थान -सी.एस.आई.डी. सी. भवन के परिसर, औद्योगिक क्षेत्र, फेस-II सिलतरा, जिला-रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।
- उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति



उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण-विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. चिमनी से पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने बाबत विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही स्थापित एवं क्षमता विस्तार उपरांत प्रदूषण भार में कितनी वृद्धि होगी स्पष्ट रूप से बताया जाए।
3. जैव अपशिष्ट (पीले श्रेणी, लाल श्रेणी, नीले श्रेणी, सफेद श्रेणी) की प्रतिदिन मात्रा एवं भंडारण क्षमता की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. वर्तमान में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उद्योग के विभिन्न इकाईयों एवं डी.जी. सेट तथा कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत की जाए।
5. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in English) एवं हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना के स्थापना हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड के माध्यम से किए जाने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
8. प्रत्येक 6 माह में उद्योग एवं परियोजना के आस-पास निवासरत लोगों का एलर्जी एवं पैथोजनिक प्रभाव की स्टडी कराने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
9. प्रस्तावित परियोजना में कितने व्यक्ति कार्यबल के रूप में कार्य करेंगे एवं उनके सुरक्षा हेतु क्या व्यवस्था की जाएगी? के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाए। स्थानीय ग्रामीणों को योग्यतानुसार रोजगार देने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
10. प्रस्तावित परियोजना एवं आस-पास के क्षेत्र का ऐरो-बॉयोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
11. स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
12. स्थापित एवं क्षमता विस्तार उपरांत भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

13. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 07/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं क्षमता विस्तार उपरांत प्रदूषण भार की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार
 - वर्तमान में स्थापित इकाई से कुल प्रदूषण भार 41.39 किलोग्राम प्रतिदिन (पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर 4.15 किलोग्राम प्रतिदिन, एच.सी.एल. का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर 4.15 किलोग्राम प्रतिदिन तथा एन.ओ._{एक्स} का उत्सर्जन 400 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर 33.09 किलोग्राम प्रतिदिन) है।
 - क्षमता विस्तार उपरांत कुल प्रदूषण भार 100.31 किलोग्राम प्रतिदिन (पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर 6.22 किलोग्राम प्रतिदिन, एच.सी.एल. का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर 10.46 किलोग्राम प्रतिदिन तथा एन.ओ._{एक्स} का उत्सर्जन 400 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर 83.64 किलोग्राम प्रतिदिन) होगी।
 - यह उद्योग क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया के अंतर्गत आता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत प्रदूषण भार की मात्रा वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु प्रदूषण भार की मात्रा के समान या उससे कम होने पर ही विचार किया जाना

संभव है। अतः उत्सर्जन की मात्रा में कमी करते हुये क्षमता विस्तार उपरांत प्रदूषण भार की पुनः गणना कर संशोधित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 31/10/2019 में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

"Any project or activity specified in Category B1 will be appraised at the Central Level, if located in whole or in part within 5 km from the boundary of Critically Polluted Areas or Severely Polluted Areas. However, Category B2 projects shall be considered at state level stipulating Environmental Clearance conditions as applicable for the Category 'B1' project/activities."

- उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के आधार पर संशोधन जारी करते हुये भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30/12/2019 को ऑफिस मेमोरेण्डम जारी किया गया, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

"In respect of the cases where partial deliberations or complete deliberations were made by SEAC or UTEAC, as the case may be (Class- II), the deliberation may be completed keeping in view of the additional conditions by the SEAC or UTEAC, as the case may be, and sent to the ministry for comments. If the comments were not received within 15 days from the communication, may be deemed as accepted and disposed based on the recommendations of the SEAC.

In respect of the cases where applications were received but not yet taken for SEAC/UTEAC (Class-III), may be transferred to Ministry for dealing at Central level as per the OM dated 31st October, 2019."


- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/01/2021 को ऑफिस मेमोरेण्डम जारी किया गया, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

"In view of the orders of the Hon'ble Supreme Court, the two Office Memoranda of even number dated 31st October 2019, and 30th December 2019 are hereby kept in abeyance."

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2022 को "Lifting of abeyance on Ministry's OMs, in pursuance to the Order dated 25/02/2022 of Hon'ble Supreme Court in Civil Appeals Nos. 2218-2219 of 2020 in the matter of Chamber of Small Industry Associations Vs Central Pollution Control Board & Others with Civil Appeal Nos. 2220- 2221/2020, 2434/2020, 2462/2020, 3319-3321/2020 & 1656-4658 of 2022 regarding." हेतु ऑफिस मेमोरेण्डम जारी किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

"The Member Secretaries of concerned EACs/SEACs shall ensure that the environmental safeguards prescribed in the above said OMs, shall be explicitly stated in the Environmental Clearance (EC) letters for the projects/activities located in CPAs and SPAs."

- अतः उपरोक्त ऑफिस मेमोरेण्डमों के आधार पर आवेदित प्रकरण के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से टिप्पणी (Comment) मंगायी जाना आवश्यक है।
- 4. जैव अपशिष्ट की कुल मात्रा 6 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगी, जिसमें से पीले श्रेणी के जैव अपशिष्ट मात्रा 3.6 मीट्रिक टन प्रतिदिन, लाल श्रेणी के जैव अपशिष्ट मात्रा 1.8 मीट्रिक टन प्रतिदिन एवं जैव अपशिष्ट मात्रा 0.6 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगी। प्रत्येक श्रेणी के जैव अपशिष्ट के भंडारण हेतु 112.4 वर्गमीटर रखा जाएगा।
- 5. वर्तमान में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उद्योग के विभिन्न इकाईयों एवं डी.जी. सेट का प्रस्तुत ले-आउट प्लान पठनीय नहीं है. तथा कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।
- 6. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in English) में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सिर्फ 3 व्यक्तियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का ही उल्लेख है एवं हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही साथ ही लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 7. परियोजना के स्थापना हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सिलतरा का दिनांक 16/12/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- 8. जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड के माध्यम से किए जाने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।
- 9. प्रत्येक 6 माह में उद्योग एवं परियोजना के आस-पास निवासरत लोगों का एलर्जी एवं पैथोजनिक प्रभाव की स्टडी कराने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।
- 10. वर्तमान परियोजना में 60 व्यक्ति एवं प्रस्तावित परियोजना में अतिरिक्त 70 व्यक्ति इस प्रकार कुल 130 व्यक्ति कार्यबल के रूप में कार्य करेंगे एवं उनके सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। स्थानीय ग्रामीणों को योग्यतानुसार रोजगार देने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- 11. प्रस्तावित परियोजना एवं आस-पास के क्षेत्र का ऐरो-बॉयोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।
- 12. स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 13. स्थापित एवं क्षमता विस्तार उपरांत भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
- 14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों



का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्सर्जन की मात्रा में कमी करते हुये क्षमता विस्तार उपरांत प्रदूषण भार की पुनः गणना कर संशोधित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in English) एवं हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित परियोजना में श्रमिकों की सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डमों के आधार पर आवेदित प्रकरण के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से टिप्पणी (Comment) मंगाया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को पत्र लेख किया जाए।

5. मेसर्स श्री आशीष पालीवाल (धौरामाठा लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-धौरामाठा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1551)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 197220/2021, दिनांक 08/02/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18/02/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/05/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह एक प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-धौरामाठा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1215(पार्ट), 1216(पार्ट), 1217(पार्ट), 1218/1, 1218/2, 1219/1, 1219/2, 1228/1 एवं 1229(पार्ट), कुल क्षेत्रफल-1.59 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 26,317.5 टन प्रतिवर्ष है।


तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 376वीं बैठक दिनांक 16/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष पालीवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धौरामाठा का दिनांक 27/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 796/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.06/2020(2) नवा रायपुर, दिनांक 08/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/3672/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 30/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.974 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल



खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/3673/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 30/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** — एल.ओ.आई. आशीष पालीवाल के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/3632/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 23/01/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **भू-स्वामित्व** — भूमि खसरा क्रमांक 1215(पार्ट), 1219/1, 1219/2, 1218/1, 1218/2, 1228/1 श्री मुकेश चन्द्राकर, खसरा क्रमांक 1216(पार्ट), 1217(पार्ट) श्रीमती विमला चन्द्राकर एवं खसरा क्रमांक 1229(पार्ट) श्री नेपाल सिंह के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4422 दुर्ग, दिनांक 11/11/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** — निकटतम आबादी ग्राम-धौराभाठा 1.6 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-धौराभाठा 1.6 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि. मी. एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है। बरसाती नाला 50 मीटर दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** — जियोलॉजिकल रिजर्व 7,55,250 टन, माईनेबल रिजर्व 5,22,879 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,96,735 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,110 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,440 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक

हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	26,317	छष्टम	20,197
द्वितीय	25,046	सप्तम	19,991
तृतीय	25,271	अष्टम	10,054
चतुर्थ	24,218	नवम	10,136
पंचम	25,054	दशम	7,518

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – खदान से बरसाती नाला 50 मीटर दूर है। नाला का पानी खदान में जाने की संभावना है, इसके रोकथाम के लिए माईनिंग प्लान अनुसार 293 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा।
17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Government Higher Secondary School, Village – Dhaurabhata	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking Water Facility	0.10
			Running Water Facility for Toilet	0.10
			Plantation in School/ Community Health Center Premises	0.10
			Total	0.80

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हेमवंत रहमतकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/990/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 29/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.97 हेक्टेयर है।
2. अनुमोदित माईनिंग प्लान में खदान की संभावित आयु 5 वर्ष उल्लेखित है। जबकि वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन के विवरण में 10 वर्षों की योजना का उल्लेख है। उक्त के संबंध में माईनिंग प्लान में संशोधन कराकर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. सी.ई.आर. के विस्तृत प्रस्ताव के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. संशोधित क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक

183/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.06/2020(2) नवा रायपुर, दिनांक 12/01/2022 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है।

2. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि रिकव्हेरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खन्न कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 2 खदानों के अतिरिक्त अन्य खदानें भी प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध अन्य खदानें डि-नोटिफाईड (De-notified) है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. रिकव्हेरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खन्न कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 2 खदानों के अतिरिक्त अन्य खदानें भी प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध अन्य खदानें डि-नोटिफाईड (De-notified) है अथवा नहीं? के संबंध में उप संचालक (खनिज प्रशासन), जिला-दुर्ग तथा क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करे कि 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित नहीं है।
4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/02/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. के साथ संलग्न नक्शों में आवेदित क्षेत्र के चिन्हांकन का प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित है। नक्शों के अनुसार लीज क्षेत्र का चिन्हांकन पत्र प्रस्तुत किया है। उत्खनिपट्टा स्वीकृत आदेश जारी होने उपरांत ही आवेदित क्षेत्र लीज क्षेत्र होगा एवं तदोपरांत ही छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 48 के प्रावधानों अनुसार सीमांकन किया जाकर सीमा चिन्ह स्थापित हो सकेंगे।
2. रिकव्हेरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खन्न कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 2 खदानों के अतिरिक्त अन्य खदानें भी प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/990/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 29/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानों में से 1 खदान को पट्टेदार द्वारा दिनांक 08/02/2021 को खदान संचालन में असमर्थता व्यक्त करते हुये खदान बंद करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना बताया गया है एवं अन्य दूसरी खदान में कार्यानुमति दिनांक 24/01/2018 से आज दिनांक तक खनिज का प्रेषण नहीं किया जाना बताया गया है। उपरोक्त के संबंध में कार्यालयीन कार्यवाही प्रचलित होने का उल्लेख है।
4. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/3632/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 23/01/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः एल.ओ. आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/04/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 एवं 14/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/938/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 10/10/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार "संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, छ.ग. के पत्र क्रमांक 5177/खनि-2/न.क्र.57/2021, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 08/10/2022 में पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 57/2022 में पारित आदेश दिनांक 30/09/2022 में छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग को प्रत्यावर्तित किया गया है।" होना बताया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के

पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/990/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 29/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.97 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-धौराभाठा) का क्षेत्रफल 1.59 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-धौराभाठा) को मिलाकर कुल रकबा 3.56 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स श्री आशीष पालीवाल (धौराभाठा लाईम स्टोन क्वारी) को ग्राम-धौराभाठा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग के खसरा क्रमांक 1215(पार्ट), 1216(पार्ट), 1217(पार्ट), 1218/1, 1218/2, 1219/1, 1219/2, 1228/1 एवं 1229(पार्ट) में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.59 हेक्टेयर, क्षमता - 26,317 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स तारापुर सेण्ड माईन (प्रो.- श्रीमती सरोज अग्रवाल), ग्राम-तारापुर, तहसील-बकावण्ड, जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1935)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन / 256885/2022, दिनांक 18/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-तारापुर, तहसील-बकावण्ड, जिला-बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1242, कुल क्षेत्रफल - 2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन भसकली नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 408वीं बैठक दिनांक 24/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रचित अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत तारापुर का दिनांक 19/12/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 915/खनिज/उ.यो./2021-22 दंतेवाड़ा, दिनांक 27/01/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 201-डी/खनिज/ख.लि.3/रेत खदान/2022 जगदलपुर, दिनांक 09/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 201-सी/खनिज/ख.लि.3/रेत खदान/2022 जगदलपुर, दिनांक 09/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. श्रीमती सरोज अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 3051/खनिज/ख.लि.3/रिवर्स ऑक्शन(रेत)/2022 जगदलपुर, दिनांक 14/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी, जगदलपुर उप वनमण्डल, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/1515 जगदलपुर, दिनांक 23/05/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 3.4 कि.मी. दूर है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-तारापुर 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-तारापुर 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल बकावण्ड 1.9 कि.मी. की दूरी पर

स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 40 दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।

11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 185 मीटर, न्यूनतम 130 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई 475 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 52 मीटर, न्यूनतम 28 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 30 मीटर, न्यूनतम 21 मीटर है।
13. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई-3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई-2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 40,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2.5 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस – रेत उत्खनन हेतु 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 09/02/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
17.29	2%	0.35	Following activities at nearby, Village-Tarapur	
			Pavitra Van	5.98
			Total	5.98

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 870 नग पौधों के लिए राशि 17,400 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 70,000 रुपये, खाद के लिए राशि 6,540 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,23,920 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,17,860 रुपये तथा द्वितीय वर्ष में खाद, सिंचाई

एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,55,792 रुपये तथा तृतीय वर्ष में खाद, सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,24,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1348, क्षेत्रफल 0.54 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. वृक्षारोपण कार्य - वृक्षारोपण (नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर कुल 90 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 3,060 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,50,000 रुपये, खाद के लिए राशि 660 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,72,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,25,720 रुपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 3,04,780 रुपये आगामी 2 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही समिति का मत है कि नदी के पाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे वृक्षारोपण (River Bank) किया जाए।
18. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
19. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अतः उक्त के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश खनिज विभाग से प्राप्त कर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एल.ओ.आई. श्रीमती सरोज अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 3051/खनिज/ख.लि.3/रिवर्स ऑक्शन(रेत)/2022 जगदलपुर, दिनांक 14/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह तक वैध थी। अतः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. प्रस्तुत जानकारी अनुसार परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खनिज विभाग द्वारा उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश की जानकारी खनिज विभाग द्वारा नहीं किया गया है। अतः जब भी वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश खनिज विभाग द्वारा किये जाने उपरांत उसकी प्रति प्रस्तुत की जाएगी।
3. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/क. त.अ./5983 जगदलपुर, दिनांक 10/10/2022 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 3.4 कि.मी. दूर है।
4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
5. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावे।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। भसकली नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-तारापुर) का रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. वृक्षारोपण कार्य - वृक्षारोपण (नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर कुल 90 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 3,060 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,50,000 रुपये, खाद के लिए राशि 660 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,72,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,25,720 रुपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 3,04,780 रुपये आगामी 2 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा -

- i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
 - ii. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2022, 2023, 2024 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स तारापुर सेण्ड माईन (प्रो. - श्रीमती सरोज अग्रवाल), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1242, ग्राम-तारापुर, तहसील-बकावण्ड, जिला-बस्तर, कुल लीज क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 0.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-04 में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
6. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया जाए।
7. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
8. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।



7. मेसर्स टलनार सेण्ड माईन (प्रो.- श्री सुरेश परतागिरी), ग्राम-टलनार, तहसील-बकावण्ड, जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1936)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 256890 / 2022, दिनांक 18 / 02 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-टलनार, तहसील-बकावण्ड, जिला-बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1079, कुल क्षेत्रफल-1.6 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन भसकली नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 32,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19 / 05 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 408वीं बैठक दिनांक 24 / 05 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सूरज कश्यप, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत टलनार का दिनांक 12 / 12 / 2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. चिन्हांकित / सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 916 / खनिज / उ.यो. / 2021-22 दंतेवाड़ा, दिनांक 27 / 01 / 2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 199-डी / खनिज / ख.लि.3 / रेत खदान / 2022 जगदलपुर, दिनांक 09 / 02 / 2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 199-बी / खनिज / ख.लि.3 / रेत खदान / 2022 जगदलपुर, दिनांक 09 / 02 / 2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. श्री सुरेश परतागिरी के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 3037 / खनिज / ख.लि.3 / रिवर्स ऑक्शन(रेत) / 2022 जगदलपुर, दिनांक 14 / 01 / 2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी, जगदलपुर उप वनमण्डल, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/1514 जगदलपुर, दिनांक 23/05/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2.8 कि.मी. दूर है। समिति का मत है कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी द्वारा लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-टलनार 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-टलनार 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-बजावण्ड 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 42 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 128 मीटर, न्यूनतम 110 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई 385 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 62 मीटर, न्यूनतम 20 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 20 मीटर है।
13. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 32,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2.5 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस – रेत उत्खनन हेतु 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 09/02/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)

			Rupees)
11.83	2%	0.23	Following activities at nearby, Village-Talnar
			Pavitra Van 5.98
			Total 5.98

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,500 नग पौधों के लिए राशि 30,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,50,500 रुपये, खाद के लिए राशि 11,250 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,34,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,25,450 रुपये तथा द्वितीय वर्ष में खाद, सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,58,540 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 630, क्षेत्रफल 1.57 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
17. वृक्षारोपण कार्य - वृक्षारोपण (नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर कुल 70 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,520 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,50,000 रुपये, खाद के लिए राशि 540 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,72,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,25,060 रुपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 3,04,640 रुपये आगामी 2 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही समिति का मत है कि नदी के पाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे वृक्षारोपण (River Bank) किया जाए।
18. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
19. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अतः उक्त के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. वनमण्डलाधिकारी द्वारा खदान से वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश खनिज विभाग से प्राप्त कर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

Bh

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/क. त.अ./5982 जगदलपुर, दिनांक 10/10/2022 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2.8 कि.मी. की दूरी पर है।
2. प्रस्तुत जानकारी अनुसार परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खनिज विभाग द्वारा उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश कि जानकारी खनिज विभाग द्वारा नहीं किया गया है। अतः जब भी वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश खनिज विभाग द्वारा किये जाने उपरांत उसकी प्रति प्रस्तुत की जाएगी।
3. एल.ओ.आई. श्री सुरेश परतागिरी के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 3037/खनिज/ख.लि. 3/रिवर्स ऑक्शन(रेत)/2022 जगदलपुर, दिनांक 14/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। अतः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
5. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावें।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। भसकली नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. आवेदित खदान (ग्राम-टलनार) का रकबा 1.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. वृक्षारोपण कार्य - वृक्षारोपण (नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर कुल 70 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,520 रुपये, फेंसिंग के लिए

राशि 1,50,000 रुपये, खाद के लिए राशि 540 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,72,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,25,060 रुपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 3,04,640 रुपये आगामी 2 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा -

i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

ii. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2022, 2023, 2024 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स टलनार सेण्ड माईनिंग (प्रो. - श्री सुरेश परतागिरी), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1079, ग्राम-टलनार, तहसील-बकावण्ड, जिला-बस्तर, कुल लीज क्षेत्रफल 1.6 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 0.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 8,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-05 में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया जाए।

7. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

Ph...

8. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स भाटपाल सेण्ड माईन (प्रो.- श्री शुक्र कुमार निषाद), ग्राम-भाटपाल, तहसील व जिला-नारायणपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1899)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 248414/2021, दिनांक 31/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-भाटपाल, तहसील व जिला-नारायणपुर स्थित खसरा क्रमांक 581, कुल क्षेत्रफल - 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन छेरीबेड़ा नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 98,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शुक्र कुमार निषाद, प्रोपराईटर एवं श्री सोमेश्वर सिन्हा, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भाटपाल का दिनांक 21/02/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 900/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2021-22 कांकेर, दिनांक 07/12/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 452/खनिज/रेत खदान/ख.लि./2021-22 नारायणपुर, दिनांक 25/11/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 453/खनिज/रेत खदान/ख.लि./2021-22 नारायणपुर, दिनांक 25/11/2021 द्वारा जारी प्रमाण

पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** - एल.ओ.आई. श्री शुक्र कुमार निषाद के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 392/खनिज/ख.लि./रेत नीलामी/2021-22 नारायणपुर, दिनांक 30/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, जिला-नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2449 नारायणपुर, दिनांक 29/05/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।
9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आबादी ग्राम-खारगांव 1.52 कि.मी., स्कूल ग्राम-भाटपाल 2 कि.मी. एवं अस्पताल नारायणपुर 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 124 मीटर एवं राज्यमार्ग 13.39 कि.मी. दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई - अधिकतम 90 मीटर, न्यूनतम 60 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई - 1,150 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 54 मीटर, न्यूनतम 30 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से न्यूनतम 10 मीटर है।
13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा - 98,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस** - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी

बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत ग्राम-माटपाल के खसरा क्रमांक 581, क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर, जो वन भूमि (वन कक्षा क्रमांक-पी 2316) के अंतर्गत है। सी.ई.आर. कार्य के लिए गैर वन भूमि में वृक्षारोपण एवं रख-रखाव का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही समिति का मत है कि नदी के पाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे वृक्षारोपण (River Bank) किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत गैर वन भूमि में वृक्षारोपण एवं रख-रखाव का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही नदी के पाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे वृक्षारोपण (River Bank) हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 28/12/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at, Village-Bhatpal	
			Pavitra Van Nirman	9.57
			Total	9.57

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 नग पौधों के लिए राशि 28,800 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,500 रुपये, खाद के लिए राशि 6,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 2,08,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,03,300 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,53,920 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत भाटपाल के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 237, क्षेत्रफल 2.61 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। छेरीबेड़ा नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-नारायणपुर, दिनांक 30/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2731/खनि 02/रेत(रूल7)/न.क्र. 38/1996 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30/05/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता दिनांक 28/10/2022 तक है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
5. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावें।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। छेरीबेड़ा नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

9. आवेदित खदान (ग्राम-भाटपाल) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

10. वृक्षारोपण कार्य – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 500 नग पौधे (अर्जुन, जामुन, करंज, बांस, आम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 18,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,50,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,750 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,72,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,43,750 रुपये एवं आगामी 2 वर्ष में कुल राशि 3,08,380 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
11. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
12. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –
- रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित गिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
 - पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही गिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - रेत सतह के पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2022, 2023, 2024 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
13. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स भाटपाल सेण्ड माईन (प्रो.- श्री शुक्र कुमार निषाद), खसरा क्रमांक 581, ग्राम-भाटपाल, तहसील व जिला-नारायणपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 49,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-06 में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
14. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

15. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग; 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स गोलाबेकुर ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.— मोहम्मद अब्दुल्ला खान, टेम्पररी परमिट), ग्राम—गोलाबेकुर, तहसील व जिला—सुकमा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1964)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए /सीजी /एमआईएन / 261543/2022, दिनांक 13/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—गोलाबेकुर, तहसील व जिला—सुकमा स्थित खसरा क्रमांक 1136, कुल क्षेत्रफल—1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—71,371 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 412वीं बैठक दिनांक 28/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशीष कुमार मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोलाबेकुर का दिनांक 13/05/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना — क्वारी प्लान एलॉग विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान विथ प्रोप्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला—दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 920/खनिज/उत्ख.यो. /2021—22 दंतेवाड़ा, दिनांक 29/01/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 431/कले./खनिज/2022 सुकमा, दिनांक 07/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 434/कले./खनिज/2022 सुकमा, दिनांक 07/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद,

- मरघट, बांध, स्कूल, अस्पताल, एनीकट एवं पुल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 364/कले./खनिज/2021 सुकमा, दिनांक 08/12/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
 7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
 8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सुकमा वनमण्डल, जिला-सुकमा के ज्ञापन क्रमांक/व.त.अ./3250 सुकमा, दिनांक 15/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र के संरक्षित वन सुकमा परिक्षेत्र के अंतर्गत उप परिक्षेत्र करेलापाल परिसर करेलापाल कक्ष क्रमांक पी.एफ. 273 से 7 कि.मी. एवं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 95 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा आवेदित लीज क्षेत्र में तेंदु 4 नग, आल 3 नग, पोलक 3 नग एवं अन्य अनुपयोगी झाड़िया है।
 9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-गोलाबेकुर 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-गोलाबेकुर 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.8 कि.मी. दूर है। मलेंगर नदी 830 मीटर दूर है।
 10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
 11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,41,680 टन, माईनेबल रिजर्व 1,41,987 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,34,887 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,780 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है, जिसमें से 6 मीटर पहाड़ी क्षेत्र है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	71,371
द्वितीय	70,616

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 695 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि

34,750 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 92,000 रुपये, खाद के लिए राशि 6,950 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,57,700 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 96,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
16.92	2%	0.33	Following activities at Nearby Government Middle School, Village-Pujarpara (Golabekur)	
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.35
			Running Water Facility for Toilets & Kitchen	0.35
			Total	0.70

16. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
17. आवेदित लीज क्षेत्र में तेंदु 4 नग, आल 3 नग, पोलक 3 नग वृक्ष एवं अन्य अनुपयोगी झाड़िया है। समिति का मत है कि आवश्यकतानुसार उक्त वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही की जाएगी। इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि वृक्षों को काटना आवश्यक न हो तो इन्हे न काटा जाये।
18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खदान से उत्खनित साधारण पत्थर (गौण खनिज) को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत प्रस्तावित निर्माण कार्यों में उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान से उत्खनित साधारण पत्थर (गौण खनिज) को उक्त कार्यों में ही उपयोग किये जाने हेतु कार्य आदेश की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग प्लान में लैटेराईट मिट्टी/ओवरबर्डन की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,645 घनमीटर है, जिसमें से 4,170 घनमीटर लैटेराईट मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष लैटेराईट मिट्टी का उपयोग शासकीय सड़क निर्माण कार्य में किया जाएगा। समिति का मत है कि उक्त लैटेराईट मिट्टी का दुरुपयोग न

करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के पुनःभराव प्लान के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. लीज क्षेत्र में तेंदु 4 नग, आल 3 नग, पोलक 3 नग वृक्ष एवं अन्य अनुपयोगी झाड़िया है। आवश्यकतानुसार उक्त वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
2. प्रस्तावित खदान से उत्खनित साधारण पत्थर (गौण खनिज) को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत प्रस्तावित निर्माण कार्यों में ही उपयोग किये जाने हेतु कार्य आदेश की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. लैटेराइट मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. खदान के पुनःभराव प्लान के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:-

1. लीज क्षेत्र में तेंदु 4 नग, आल 3 नग, पोलक 3 नग वृक्ष एवं अन्य अनुपयोगी झाड़िया है। आवश्यकतानुसार उक्त वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रस्तावित खदान से उत्खनित साधारण पत्थर (गौण खनिज) को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत प्रस्तावित निर्माण कार्यों में ही उपयोग किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्य आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है:-

(1) कार्यालय कलेक्टर/अध्यक्ष जिला निर्माण समिति सुकमा, जिला-सुकमा के ज्ञापन दिनांक 18/06/2021 द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर सुकमा मुयापारा मुरतोण्डा का आहता निर्माण भाग-2 हेतु।

(2) कार्यालय कलेक्टर/अध्यक्ष जिला निर्माण समिति सुकमा, जिला-सुकमा के ज्ञापन दिनांक 18/06/2021 द्वारा कोयाबोकुर से इत्तापारा मार्ग में 5x8 मीटर स्थान पुलिया निर्माण कार्य हेतु।



(3) कार्यालय कलेक्टर/अध्यक्ष जिला निर्माण समिति सुकमा, जिला-सुकमा के ज्ञापन दिनांक 18/06/2021 द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर सुकमा मुयापारा मुरतोण्डा में बी.टी. सड़क निर्माण 500 मीटर हेतु।

(4) कार्यालय कलेक्टर जिला निर्माण समिति सुकमा, जिला-सुकमा के ज्ञापन दिनांक 18/04/2020 द्वारा जिला सुकमा अंतर्गत छिन्दगढ़ में वृहद जल आवर्धन कार्य हेतु।

(5) कार्यालय कलेक्टर जिला निर्माण समिति सुकमा, जिला-सुकमा के ज्ञापन दिनांक 27/12/2019 अनुसूचित क्षेत्र में जिला अस्पताल परिसर सुकमा में ट्रांजिस्ट हॉस्टल निर्माण कार्य हेतु।

(6) एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कम मेम्बर सेक्रेटरी प्रोजेक्ट इमप्लीमेंटेशन यूनिट नं.02 जिला-सुकमा के ज्ञापन दिनांक 14/11/2019 द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बैलेंस वर्क ऑफ पेकेज नम्बर सी.जी.19-42 (4) सड़क निर्माण एवं रख-रखाव हेतु।

(7) कार्यालय कलेक्टर जिला निर्माण समिति सुकमा, जिला-सुकमा के ज्ञापन दिनांक 03/10/2018 द्वारा 100 सीटर पोटाकेबिन बालक छात्रावास भवन निर्माण (विद्युतिकरण एवं पेयजल सुविधा सहित) कार्य गादीराम हेतु।

(8) कार्यालय कलेक्टर जिला निर्माण समिति सुकमा, जिला-सुकमा के ज्ञापन दिनांक 03/10/2018 द्वारा 100 सीटर पोटाकेबिन बालक छात्रावास भवन निर्माण (विद्युतिकरण एवं पेयजल सुविधा सहित) कार्य केरलापाल हेतु।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावित खदान से उत्खनित साधारण पत्थर (गौण खनिज) को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों एवं शासकीय विकास कार्यों में ही उपयोग किया जाएगा तथा किसी भी निजी व्यापार में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. लैटेराइट मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। लैटेराइट मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. खदान के पुनःभराव प्लान के संबंध में परियोजना प्रस्तावक के कथनानुसार, उत्खनन के उपरांत खदान क्षेत्र को जलाशय में परिवर्तित किया जाएगा, जो कि स्थानीय समुदाय के निस्तारी हेतु उपयोग किया जाएगा एवं यह एक उत्तम भू-जल रिचार्ज पिट का भी कार्य करेगा तथा 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का उपयोग वृक्षारोपण हेतु ही किया जाएगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. लैटेराइट मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

3. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत उल्लंघन का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ज्ञानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. लैटेराइट मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत उल्लंघन का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।
6. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

7. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 431/कले./खनिज/2022 सुकमा, दिनांक 07/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-गोलाबेकुर) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-गोलाबेकुर) को मिलाकर कुल रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स गोलाबेकुर ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- मोहम्मद अब्दुल्ला खान, टेम्पररी परमिट) को ग्राम-गोलाबेकुर, तहसील व जिला-सुकमा के खसरा क्रमांक 1136 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, 2 वर्षों में कुल क्षमता 1,41,987 टन से अधिक न हो, हेतु परिशिष्ट-07 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स जगदीश इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-चरौदा, तहसील-धरसीवा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1922)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 253966/ 2022, दिनांक 29/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत ग्राम-चरौदा, तहसील-धरसीवा, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 143 एवं 144, कुल क्षेत्रफल - 1.655 हेक्टेयर में रि-रोल्ड प्रोडक्ट्स थू इण्डक्शन फर्नेस क्षमता - 29,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,500 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना की विनियोग रुपये 2.5 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

6. रॉ-मटेरियल -

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
For Induction Furnace				
1.	Sponge Iron	48,500	Open Market	By Road (through covered trucks)
2.	Scrap	15,000		
3.	Alloys	660		
For Rolling Mill (Re-rolled Products)				
1.	Billets	59,500	In house	-

7. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी -

S. No.	Particular	Existing Capacity	Capacity After Expansion
1.	Unit	Induction Furnace and Rolling Mill (CCM) - 2 x 6 TPH	Induction Furnace and Rolling Mill (CCM) - 2 x 6 TPH + 1 x 8 TPH
2.	Production	29,500 TPA	59,500 TPA
3.	Working Hours	12	18

8. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्कबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

9. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था - प्रस्तावित कार्यकलाप के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग - 2,450 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल से यूज्ड ऑयल 180 लीटर प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को स्लेग क्रशिंग इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। यूज्ड ऑयल को अधिकृत वेण्डर्स इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। यही व्यवस्था वर्तमान में अपनाई गई है।

10. जल प्रबंधन व्यवस्था -

• जल खपत एवं स्रोत - वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 21 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, कुलिंग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेसन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीनबेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 32 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, कुलिंग हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन; डस्ट सप्रेसन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीनबेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जो दिनांक 02/01/2024 तक वैध है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सोकपिट एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।
 - **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:-
 - (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
 - (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
 - **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 9,746 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 5 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।
11. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 9,576 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 8,532 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 2,630 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी

Bhand

जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है।

12. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 8.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 250 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित है एवं इसके अतिरिक्त प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 125 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।
13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु क्षेत्रफल 0.475 हेक्टेयर (28.72 प्रतिशत) क्षेत्र में 790 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत क्षेत्रफल 0.662 हेक्टेयर (40.01 प्रतिशत) क्षेत्र में अतिरिक्त 865 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 3 माह में पूर्ण किया जाएगा।
14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
250	1%	2.5	Following activities at, Government Girls High School Village- Charoda	
			Rain water harvesting	1.215
			Water Supply arrangement with 3 year AMC	0.65
			Water tank & pipe line Facility for Toilets	0.45
			Plantation	0.45
			Total	2.765

15. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत जाए।
2. ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि एवं जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होने के कारण प्रदूषण भार में वृद्धि होना संभावित है। अतः उक्त के संबंध में स्थापित एवं प्रस्तावित परियोजना हेतु तुलनात्मक प्रदूषण भार की गणना कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्रमाणित पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. वर्तमान में ठोस अपशिष्ट के रूप में स्लेग- 1,200 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल-150 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग-800 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष जनित होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत ठोस अपशिष्ट के रूप में स्लेग- 1,200 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल-150 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग-800 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष जनित होना प्रस्तावित है। वर्तमान में स्लेग को स्लेग प्रोसेसिंग इकाई को प्रदाय किया जाता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को पुनः प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अपनाई जाएगी।
3. प्रस्तावित कार्यकलाप से जल उपभोग की मात्रा में 11 किलोलीटर प्रतिदिन वृद्धि होगी। उत्पन्न औद्योगिक दूषित जल को कुलिंग हेतु उपयोग किया जाना एवं घरेलू दूषित जल को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचार उपरांत वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार 50 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,000 रुपये, ट्री गार्ड के लिए राशि 15,000 रुपये, खाद के लिए राशि 375 रुपये, रख-रखाव के लिए राशि 33,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम

वर्ष में कुल राशि 50,375 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,28,475 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

11. मेसर्स एनएमडीसी लिमिटेड, बैलाडीला आयसन ओर माईन, किरन्दुल कॉम्प्लेक्स, ग्राम-किरन्दुल, तहसील-दन्तेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1895)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 248317/2021, दिनांक 30/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित बिल्डिंग एण्ड कन्सट्रक्शन ऑफ रेसीडेंशियल टॉवर के निर्माण की परियोजना है। यह परियोजना ग्राम-किरन्दुल, तहसील-दन्तेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा अंतर्गत टाईप-III में खसरा क्रमांक 13, क्षेत्रफल 2.46 हेक्टेयर, बिल्टअप क्षेत्रफल-35,168.15 वर्गमीटर, टाईप-IV में खसरा क्रमांक 12, क्षेत्रफल 2.92 हेक्टेयर, बिल्टअप क्षेत्रफल-35,937.87 वर्गमीटर एवं टाईप-V में खसरा क्रमांक 233, फॉरेस्ट कम्पार्टमेंट नंबर 1860, क्षेत्रफल 0.789 हेक्टेयर, बिल्टअप क्षेत्रफल-6,331.16 वर्गमीटर में प्रस्तावित है। परियोजना का विनियोग रुपये 218 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जे.ए. कमलाकर, डी.जी.एम. (पर्यावरण), एम. जयपाल रेड्डी, सी. जी.एम. (आर.पी.) ए.जी. श्रीनिवास डीजी.एम (सीविल) उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी -

- निकटतम ग्राम-किरन्दुल एवं शहर दन्तेवाड़ा 30 कि.मी., रेलवे स्टेशन किरन्दुल 1.35 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। माँ दन्तेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर 120 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 7.38 कि.मी. दूर है। कोयर नदी 2.59 कि.मी. एवं मलांगर नदी 6.32 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. खसरा संबंधी विवरण -

- खसरा क्रमांक 12 एवं 233 हेतु राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, किरन्दुल का किसान किताब की प्रति प्रस्तुत किया गया है।
- कलेक्टर के आदेशानुसार दिनांक 29/10/2014 को ग्राम-किरन्दुल में डी.वी. के. रेलवे एवं एनएमडीसी किरन्दुल परियोजना के द्वारा अधिग्रहित भूमि का सर्वेक्षण किया गया है। अतः पूर्व तट रेलवे, किरन्दुल के पंचनामा अनुसार खसरा क्रमांक 13 एवं अन्य में रेलवे की पटरी बिछी हुई है, जिसका उपयोग एनएमडीसी द्वारा किया जा रहा है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन कक्ष क्रमांक 1860 का कुल क्षेत्रफल नहीं बताया गया है। परंतु यह बताया गया है कि उक्त वन कक्ष क्रमांक 1860 का क्षेत्रफल 0.37 हेक्टेयर भवन निर्माण में उपयोग किया जाएगा। किसी भी वन भूमि में गैर वानिकी आयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत नियमानुसार पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन कक्ष क्रमांक 1860 के गैर वानिकी कार्य में उपयोग हेतु पूर्व अनुमति की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. लीज संबंधी विवरण -

- पूर्व में मेसर्स एनएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में मध्यप्रदेश शासन के आदेश दिनांक 20/04/1965 द्वारा 30 वर्ष की अवधि के लिए बैलाडीला डिपोजिट नं. 14 के कुल रकबा 546.882 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनि पट्टा स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात् मेसर्स एनएमडीसी लिमिटेड के प्रथम नवीनीकरण आवेदन दिनांक 01/09/1993 के परिपेक्ष्य में निगम द्वारा वन विभाग का समर्पित क्षेत्र 40.140 को छोड़कर शेष 506.742 हेक्टेयर क्षेत्र को शासन के आदेश क्रमांक एफ 3-124/94/12/2, दिनांक 29/06/2002 द्वारा 20 वर्ष हेतु खनिपट्टा का प्रथम नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसकी अवधि दिनांक 07/12/1995 से 06/12/2015 तक थी।
- अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 4-41/2018/12 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/12/2019 द्वारा मेसर्स एनएमडीसी लिमिटेड, डिपोजिट नं. 14 के कुल रकबा 506.742 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज आयरन ओर का स्वीकृत खनि पट्टा के द्वितीय नवीनीकरण 20 वर्ष के लिए यथा दिनांक 07/12/2015 से 06/12/2035 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।
- लीज विस्तारीकरण के संबंध में अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-10/2018/10-2 नवा रायपुर, दिनांक 31/03/2020 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर को "Extension of validity of Forest clearance for Deposit-14 NMZ Mining Lease 506.742 ha Forest Land in Dantewada Forest Division of South Baster Dantewada District, C.G." हेतु जारी पत्र अनुसार "वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत खनिज लौह अयस्क उत्खनन की खनन

संबंधी गैर वानिकी कार्य के अनुमति की समयावधि को भाईनिंग लीज के अवधि के समानांतर दिनांक 06/12/2035 तक समयवृद्धि किया गया है।

4. वर्तमान में प्रस्तावित रेसीडेंशियल हेतु अतिरिक्त क्षेत्र प्रस्तावित नहीं किया गया है। प्रस्तावित रेसीडेंशियल टॉवर (टाईप-V) क्षेत्रफल 0.789 हेक्टेयर में पूर्व से निर्मित 16 क्वार्टर्स को डिसमेंटल कर उसी क्षेत्र में मोनोलिथिक टॉवर्स (मोनोलिथिक वॉल एवं स्लैब) निर्माण कार्य किया जायेगा। पूर्व से ही क्षेत्रफल 0.789 हेक्टेयर एनएमडीसी, किरन्दुल प्रोजेक्ट की (under possession) है एवं वन कक्ष क्रमांक 1860 फॉरेस्ट कम्पार्टमेंट है तथा खसरा क्रमांक 233 (राजस्व भूमि) के अंतर्गत आता है।
5. क्वार्टर टाईप की जानकारी -

Quarters	No. of units	No. of towers	No. of floors	No. of units in each floor of each tower	Area of each unit in sq.ft
Type - III	200	5	Stilt + 10	4	1211
Type - IV	144	3	Stilt + 8	6	1490
Type - V	21	1	Stilt + 7	3	1995
Total	365	9			

6. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट -

Particulars	Area (SQ. M.)	Area (%)	Area (SQ. M.)	Area (%)	Area (SQ. M.)	Area (%)
	Type-III		Type-IV		Type-V	
Plinth Area	3,357.52	13.64	3,938.72	13.49	730.67	9.26
Green Belt Area	2,940.48	11.95	3,100	10.61	1,414.52	17.93
Internal Road Area	8,014	32.57	9,754.7	33.4	1,183.08	15
Open Area	4,510	18.36	9,700	33.23	2,274.9	28.9
Other Area (Service Area/Parking Area/Paved & Pathway)	5,778	23.48	2,709	9.27	2,282.9	28.91
Total Net Plot Area	24,600	100	29,202.42	100	7,886.79	100
Total Land Area (Type-III + Type-IV + Type-V)	61,689.21					

7. बिल्टअप एरिया स्टेटमेंट -

	Type-III					
	Tower-3A	Tower-3B	Tower-3C	Tower-3D	Tower-3E	Cafeteria
No. of Flats	200					
Ground / Stilt Floor	608.77	608.77	608.77	608.77	608.77	400.40

Floor-1	626.47	626.47	626.47	626.47	626.47	400.40
Floor-2	626.47	626.47	626.47	626.47	626.47	-
Floor-3	626.47	626.47	626.47	626.47	626.47	-
Floor-4	626.47	626.47	626.47	626.47	626.47	-
Floor-5	626.47	626.47	626.47	626.47	626.47	-
Floor-6	626.47	626.47	626.47	626.47	626.47	-
Floor-7	626.47	626.47	626.47	626.47	626.47	-
Floor-8	626.47	626.47	626.47	626.47	626.47	-
Floor-9	626.47	626.47	626.47	626.47	626.47	-
Floor-10	626.47	626.47	626.47	626.47	626.47	-
Total	6,873.47	6,873.47	6,873.47	6,873.47	6,873.47	800.80
Sub Total	35,168.15					

Type-IV			
	Tower-4A	Tower-4B	Tower-4C
No. of Flats	144		
Ground / Stilt Floor	1,461.93	1,461.93	1,461.93
Floor-1	1,314.67	1,314.67	1,314.67
Floor-2	1,314.67	1,314.67	1,314.67
Floor-3	1,314.67	1,314.67	1,314.67
Floor-4	1,314.67	1,314.67	1,314.67
Floor-5	1,314.67	1,314.67	1,314.67
Floor-6	1,314.67	1,314.67	1,314.67
Floor-7	1,314.67	1,314.67	1,314.67
Floor-8	1,314.67	1,314.67	1,314.67
Total	11,979.29	11,979.29	11,979.29
Sub Total	35,937.87		

Type-V	
No. of Flats	21
Ground / Stilt Floor	914.00
Floor-1	773.88
Floor-2	773.88
Floor-3	773.88
Floor-4	773.88
Floor-5	773.88
Floor-6	773.88
Floor-7	773.88
Total	6,331.16

Total Builtup Area	
Type-III	35,168.15
Type-IV	35,937.87
Type-V	6,331.16
All Total	77,437.18

8. प्रस्तावित कार्यकलापों की सुविधाओं के उपयोग हेतु अनुमानित कुल 2,461 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।



9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढक कर निर्माण कार्य किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।
10. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – ब्रोकन ब्रिक्स, ब्रोकन टाईल्स, स्टोन स्लेग, टिम्बर आदि का उपयोग रोड निर्माण कार्य, पुनः उपयोग, लेवलिंग आदि अन्य कार्यों में उपयोग किया जाएगा। परियोजना के विकासोपरांत ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु थ्री बिन पद्धति अपनायी जाएगी। परियोजना से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा 2,529.57 किलोग्राम प्रतिदिन (वेट अपशिष्ट 1,517.74 किलोग्राम प्रतिदिन एवं रिसाईक्लेबल अपशिष्ट 758.87 किलोग्राम प्रतिदिन एवं इनर्ट 252.96 किलोग्राम प्रतिदिन) होगी। उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को वेट एवं रिसाईक्लेबल के अनुसार संग्रहित किया जाएगा। रिसाईक्लेबल अपशिष्टों को अधिकृत वेण्डर्स को विक्रय किया जाएगा। एकत्रित अपशिष्ट को अपवहन हेतु नगरपालिक परिसर, किरन्दुल को उपलब्ध कराया जाएगा।
11. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्रोत** – परियोजना में ऑपरेशन फेज हेतु 301 घनमीटर प्रतिदिन (फ्रेश वॉटर हेतु 295.35 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य वॉटर हेतु 5.64 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति नगर पालिका (Municipal Water Supply) द्वारा की जाएगी। परियोजना में कन्सट्रक्शन फेज हेतु जल की मात्रा, आपूर्ति स्रोत एवं माध्यम की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही ऑपरेशन फेज हेतु जल की आपूर्ति स्रोत एवं माध्यम की जानकारी/दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 255.85 घनमीटर प्रतिदिन होगा। दूषित जल के उपचार हेतु एसबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 3 एमएलडी स्थापित किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, इक्विलाइजेशन टैंक, एमबीबी रिएक्टर, सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, स्लज होल्डिंग टैंक एवं प्रेसर सेण्ड फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर उद्यानिकी हेतु उपयोग किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा।
- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार—
 - (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
 - (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 9 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर्स (व्यास 1.2 मीटर एवं गहराई 2.4 मीटर) निर्मित किया

जाएगा। समिति का मत है कि प्रस्तावित परियोजना में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत गणना (कुल रनऑफ की मात्रा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं पिट्स का विवरण, नंबर एवं साईज सहित) कर ले-आउट में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** – कन्सट्रक्शन फेज हेतु 100 के.व्ही.ए. एवं ऑपरेशनल फेज हेतु 1,105 के.व्ही.ए. विद्युत खपत होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग 250 के.व्ही.ए. एवं 1 नग 160 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित ऊंचाई की चिमनी का निर्माण किया जाएगा।
13. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – हरित पट्टिका के विकास प्रस्तुत ले-आउट के अनुसार कुल क्षेत्रफल के 7,455 वर्गमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
14. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – आंतरिक स्थानों पर एल.ई.डी. लाईट प्रयुक्त किया जाना प्रस्तावित है। लेण्ड स्कैपिंग एवं ड्राईव-वे में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम प्रस्तावित है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
21800	2% (for 100 crore) + 1.5% (for 118 crore)	377	Following activities at	
			Solar Equipment fittings for Kadampal and Kodonar Gram Panchayat	15.0
			Hand pumps with Solar Panel and distribution of water pipeline at Sukru camp near Kirandul	23.0
			Development of lake near Bengali camp, Kirandul	40.0
			Renovation of Government Middle School (Naveen Madhyamika Vidyalaya), Kirandul	125.0
			Plantation along	130.0

			Gaurav Path Road, Kirandul	
			Construction of RCC retaining wall, repair of existing drains and construction of new drains at sinha camp etc. near Kirandul	44.0
			Total	377.0

समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार परियोजना के कुल लागत का 100 करोड़ तक के लिए 2 प्रतिशत एवं 100 करोड़ से 500 करोड़ तक के लिए 1.5 प्रतिशत व्यय किये जाने का प्रावधान है। आवेदित परियोजना हेतु ओ.एम. के अनुसार सी.ई.आर. के तहत 3.77 करोड़ व्यय किया जाना होगा। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि परियोजना हेतु सी.ई.आर. के तहत व्यय राशि अत्यधिक होने के कारण सी.ई.आर. की राशि (कुल राशि 3,77,00,000 रुपये) को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा किये जाने हेतु शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. वन कक्ष क्रमांक 1860 का कुल क्षेत्रफल संबंधी जानकारी तथा वन कक्ष क्रमांक 1860 के गैर वानिकी कार्य में उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पूर्व अनुमति की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना में कन्सट्रक्शन फेज हेतु जल की मात्रा, आपूर्ति स्रोत एवं माध्यम की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऑपरेशन फेज हेतु जल की आपूर्ति स्रोत एवं माध्यम की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तावित परियोजना में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत गणना (कुल रनऑफ की मात्रा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं पिट्स का विवरण, नंबर एवं साईज सहित) कर ले-आउट में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के तहत व्यय राशि (कुल राशि 3,77,00,000 रुपये) को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा किये जाने हेतु शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 06/07/2022 एवं 10/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:-

1. वन कक्ष क्रमांक 1860 का कुल क्षेत्रफल संबंधी जानकारी तथा वन कक्ष क्रमांक 1860 के गैर वानिकी कार्य में उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पूर्व अनुमति की जानकारी के संबंध में:-

- वन कक्ष क्रमांक 1860 का कुल क्षेत्रफल-238.932 हेक्टेयर है, जिसमें से एन.एम.डी.सी. किरंदुल कॉम्प्लेक्स के पास 194.991 हेक्टेयर वन भूमि है। प्रस्तावित टाईप-V बहुमंजिला इमारत का निर्माण वर्तमान में कॉलोनी में स्थित 18 क्वाटर्स को तोड़कर बनाया जाएगा जो कि 7,886.79 वर्गमीटर (0.789 हेक्टेयर) भूमि पर स्थित है, जिसमें राजस्व भूमि 4,198.8 वर्गमीटर (0.42 हेक्टेयर) एवं वनभूमि 3,687.99 वर्गमीटर (0.369 हेक्टेयर) का कुल क्षेत्रफल उक्त भूमि एन.एम.डी.सी. किरंदुल परियोजना के स्वामित्व में है, जो कि वन कक्ष क्रमांक 1860 एवं खसरा क्रमांक-233 (राजस्व भूमि) में स्थित है। वन कक्ष क्रमांक 1860 एन.एम.डी.सी. के बैलाडीला निक्षेप क्रमांक 14 एन.एम.जेड (506.742 हेक्टेयर) के अंतर्गत आता है जिसका भू-अनुप्रयोग में परिवर्तन कर खनन पट्टे का पूर्णतः स्वामित्व परियोजना के पास है। आबंटित वन पट्टे में स्वीकृत आधारभूत संरचना के अंतर्गत उक्त वन भूमि आती है। इस बाबत वनमंडलाधिकारी, दन्तेवाड़ा वनमंडल, जिला-दन्तेवाड़ा के पत्र क्रमांक/क.त.अ./4740 दन्तेवाड़ा, दिनांक 02/07/2022 द्वारा टाईप-V बहुमंजिला इमारत का निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

- वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन, खनि संसाधन विभाग, नवा रायपुर द्वारा लीज की अवधि दिनांक 07/12/2015 से दिनांक 06/12/2035 तक पत्र क्रमांक/एफ-4/41/2018/12 दिनांक 17/12/2019 द्वारा वृद्धि की गई है। इस तारतम्य में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा भी वन स्वीकृति की अविध दिनांक 07/12/2015 से 06/12/2035 तक पत्र क्रमांक/एफ-5-10/2016/10-2, दिनांक 31/03/2020 द्वारा वृद्धि की गई है।

- नगर पालिका परिषद किरंदुल, जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा द्वारा बहुमंजिला इमारत निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

(1) टाईप-III 200 यूनिट (भू-तल + 10 मंजिला) निर्माण हेतु पत्र क्रमांक/369/ राज.शा./ न.पा.परि/ 2022 किरंदुल, दिनांक 23/06/2022

(2) टाईप-IV 114 यूनिट (भू-तल + 8 मंजिला) निर्माण हेतु पत्र क्रमांक/370/ राज.शा./ न.पा.परि/ 2022 किरंदुल, दिनांक 23/06/2022

(3) टाईप-V 21 यूनिट (भू-तल + 7 मंजिला) निर्माण हेतु पत्र क्रमांक/371/ राज.शा./ न.पा.परि/ 2022 किरंदुल, दिनांक 23/06/2022

2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दन्तेवाड़ा वनमण्डल, जिला-दन्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक/क.त.अ./5536 दन्तेवाड़ा, दिनांक 05/08/2022 द्वारा आवेदित प्रकरण द्वारा रेसिडेंसियल टॉवर टाईप-V के निर्माण हेतु आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1860 (पुराना वन कक्ष क्रमांक-419/वन कक्ष क्रमांक 639) के अंतर्गत पूर्व में कुल

Rh

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र (77.778 हेक्टेयर) में से 0.37 हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्र में बहुमंजिला रेसिडेंसियल टॉवर टाईप-V क्वॉटर्स निर्माण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. ऑपरेशन फेज हेतु जल की आपूर्ति किरन्दुल नाला, बवेली स्रोत से किया जायेगा। इस हेतु परियोजना द्वारा आवेदन किया गया है जो कि राज्य शासन के पास विचाराधीन है। वर्तमान में परियोजना द्वारा जल खपत की मात्रा का मासिक विवरण जल संसाधन विभाग, दंतेवाड़ा को जमा किया जाता है। जल संसाधन विभाग, दंतेवाड़ा से मांग पत्र मिलने के पश्चात् जल कर का भुगतान परियोजना द्वारा किया जाता है।

प्रस्तावित बहुमंजिला ईमारत हेतु कन्सट्रक्शन फेस के दौरान जल की खपत 212.16 किलोलीटर प्रतिदिन एवं ऑपरेशन फेज हेतु जल की कुल मांग 301.06 किलोलीटर प्रतिदिन रहेगी। साथ ही विस्तृत गणना प्रस्तुत की गई है।

4. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था के अंतर्गत वर्षा जल का कुल रनऑफ 972 घनमीटर होगी। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत:-

(1) टाईप-III क्वॉटर्स हेतु 2 नग रिचार्ज पिट्स (व्यास 1.2 मीटर, फिल्ट्रेशन गैलरी गहराई 2.4 मीटर, कुल गहराई 10 मीटर)

(2) टाईप-IV क्वॉटर्स हेतु 5 नग रिचार्ज पिट्स (व्यास 1.2 मीटर, फिल्ट्रेशन गैलरी गहराई 2.4 मीटर, कुल गहराई 10 मीटर)

(3) टाईप-V क्वॉटर्स हेतु 2 नग रिचार्ज पिट्स (व्यास 1.2 मीटर, फिल्ट्रेशन गैलरी गहराई 2.4 मीटर, कुल गहराई 10 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। साथ ही टाईप-III, टाईप-IV एवं टाईप-V टावर हेतु अलग-अलग स्टॉर्म वॉटर नेटवर्क प्लान एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्लान प्रस्तुत किये गये हैं।

5. सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) के तहत कुल राशि रुपये 3,77,00,000.00 का आबंटन (Green field project, 2% of Rs-100Cr and 1.5 % of Rs-118. Cr) कर 6 विभिन्न कार्यों में जिला प्रशासन के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्यों में Solar equipment fitting, Hand pump with solar pannel & distribution of water pipeline, development of lake, renovation of Govt School, plantation along Gaurav Path & Construction of RCC retaining wall इत्यादि किये जाने प्रस्तावित है। उपरोक्त सभी कार्य सिविल एवं इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं और गौरव पथ का सौंदर्यकरण नगरपालिका के अन्तर्गत आता है। अतः उपरोक्त सभी कार्य जिला प्रशासन के साथ अनुबंध कर किये जा सकेंगे। साथ ही सी.ई.आर. के तहत व्यय राशि (कुल राशि 3,77,00,000 रुपये) को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा किये जाने हेतु शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. समिति द्वारा नोट किया गया कि कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमण्डल, दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक/क.त.अ./4740 दंतेवाड़ा, दिनांक 02/07/2022 द्वारा प्रस्तावित स्थल वन कक्ष क्रमांक 1860 के रकबा 0.789 हे. क्षेत्र में बहुमंजिला रेसिडेंसियल टॉवर टाईप-V क्वॉटर्स निर्माण करने हेतु इस

कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है" का उल्लेख है एवं ज्ञापन क्रमांक/क.त.अ./5536 दंतेवाड़ा, दिनांक 05/08/2022 द्वारा प्रस्तावित स्थल वन कक्ष क्रमांक 1860 (पुराना वन कक्ष क्रमांक-419/ वन कक्ष क्रमांक 639) के रकबा 0.37 हे. क्षेत्र में बहुमंजिला रेसिडेंसियल टॉवर टाईप-V क्वाटर्स निर्माण करने हेतु इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है" का उल्लेख है। समिति द्वारा पाया गया कि कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमण्डल, दंतेवाड़ा द्वारा प्रेषित पत्रों में वन कक्ष क्रमांक 1860 का रकबा भिन्न भिन्न उल्लेखित है। साथ ही वन कक्ष क्रमांक 1860 का क्षेत्र गैर वानिकी कार्य के लिए उपयोग करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हुई है अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। अतः समिति का मत है कि उक्त के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमण्डल, दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक/क.त.अ./4740 दंतेवाड़ा, दिनांक 02/07/2022 द्वारा प्रस्तावित स्थल वन कक्ष क्रमांक 1860 के रकबा 0.789 हे. क्षेत्र में बहुमंजिला रेसिडेंसियल टॉवर टाईप-V क्वाटर्स निर्माण करने हेतु इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है" का उल्लेख है एवं ज्ञापन क्रमांक/क.त.अ./5536 दंतेवाड़ा, दिनांक 05/08/2022 द्वारा प्रस्तावित स्थल वन कक्ष क्रमांक 1860 (पुराना वन कक्ष क्रमांक-419/ वन कक्ष क्रमांक 639) के रकबा 0.37 हे. क्षेत्र में बहुमंजिला रेसिडेंसियल टॉवर टाईप-V क्वाटर्स निर्माण करने हेतु इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है" का उल्लेख है। समिति द्वारा पाया गया कि कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमण्डल, दंतेवाड़ा द्वारा प्रेषित पत्रों में वन कक्ष क्रमांक 1860 का रकबा भिन्न-भिन्न उल्लेखित है। साथ ही वन कक्ष क्रमांक 1860 का क्षेत्र गैर वानिकी कार्य बहुमंजिला रेसिडेंसियल टॉवर टाईप-V क्वाटर्स के नवनिर्माण के लिए उपयोग करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हुई है अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। वन भूमि के गैर वानिकी कार्य उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत आवश्यक स्वीकृति स्टेज-1 एवं स्टेज-2 आवश्यक है। अतः उक्त के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक से प्रतिवेदन मंगाया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक/भू-प्रबंध/खनिज/331-113/2327 रायपुर, दिनांक 11/10/2022 अनुसार "एन.एम.डी.सी. डिपोजिट-14 एन.एम. जेड रकबा 506.742 हे. हेतु वन भूमि के गैर वानिकी कार्य उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 11/06/1998 द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति एवं दिनांक 18/06/1999 द्वारा प्रकरण में अंतिम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।" संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही संलग्न दस्तावेज अनुसार निम्न तथ्य है:-

एनएमडीसी लिमिटेड बी.आई.ओ.एम. किरन्दुल कॉम्प्लेक्स के प्रस्तावित रेसिडेन्सियल टॉवर टाईप - V के निर्माण हेतु आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1860 में कुल क्षेत्र 0.969 हे. वनभूमि पर पूर्व में निर्मित रहवासी कॉलोनी है। प्रस्तावित टाईप- V बहुमंजिला ईमारत का निर्माण वर्तमान में कॉलोनी में स्थित 16 क्वाटर्स को तोड़कर बनाया जायेगा जो कि 0.789 हेक्टर भूमि पर स्थित है जिसमें राजस्व भूमि 0.419 हेक्टर एवं वनभूमि 0.37 हेक्टर का कुल क्षेत्रफल उक्त भूमि एनएमडीसी किरन्दुल परियोजना के स्वामित्व में है जो कि संशोधित वन कक्ष क्रमांक 1860 (पुराना वन कक्ष क्रमांक 419, नया वन कक्ष क्रमांक 639) एवं खसरा नं. 233 (राजस्व भूमि) में स्थित है जो कि आबंटित वन पट्टे में स्वीकृत आधारभूत संरचना (Forest land for infrastructural facilities 153.057 ha.) के अन्तर्गत उक्त वनभूमि आती है।

एनएमडीसी के बैलाडीला निक्षेप क्रमांक 14 एनएमजेड (506.742 हे.) जिसके लिए परियोजना को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक प्रथम चरण स्वीकृति MOEF&CC नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F-No- 8&40/97 FC दिनांक 11/06/1998 एवं द्वितीय चरण स्वीकृति MOEF&CC नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F-No-8&40/97 FC दिनांक 18/06/1999 द्वारा प्राप्त हुई है। जिसके तहत भू-उपयोग निम्नानुसार है:-

1	Already broken up forest land	80.250 Ha.
2	Forest land for infrastructural facilities	153.057 Ha.
3	Already afforested area	105.000 Ha.
4	Blank area to be afforested	168.435 Ha.
Total		506.742 Ha.


- समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के एफ नम्बर 8-40/97-एफसी दिनांक 18/06/1999 द्वारा जारी पत्र अनुसार "The period of permission under the Forest (Conservation) Act, 1980 will be for 20 years co-terminus with lease under MMDR Act, 1957 and w.e.f. date of expiry of previous lease." है। अतः समिति का मत है कि उपरोक्त तथ्य के परिपेक्ष्य में एम.एम.आर.डी.आर. एक्ट, 1957 के तहत वैध लीज डीड की प्रति एवं वैध लीज डीड अवधि अनुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत अवधि विस्तार स्वीकृति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एम.एम.आर.डी.आर. एक्ट, 1957 के तहत वैध लीज डीड की प्रति एवं वैध लीज डीड अवधि अनुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत अवधि विस्तार स्वीकृति पत्र की प्रति प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

- मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री कुन्दन परमार), ग्राम-बरबसपुर, तहसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1826)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 67934/2021, दिनांक 27/09/2021।



4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद; दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.3 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1254/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 24/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज आवेदक के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 03/01/2007 से 02/01/2017 तक वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 02/01/2017 से 01/01/2037 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/3349 महासमुंद, दिनांक 21/11/2006 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 13 कि.मी. की दूरी पर है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-बरबसपुर 1.1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-बरबसपुर 1.25 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 10.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14.9 कि.मी. दूर है। महानदी 410 मीटर एवं बरसाती नाला 810 मीटर दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 62,100 टन (24,840 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 23,351 टन (9,340 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 17,513 टन (7,005 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 23,210 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 7,710 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,280 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
2022	1050

2023	1,057.5
2024	812
2025	961.5
2026	937.5

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.14 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 256 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. **प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अधीन वृक्षारोपण का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये चिन्हित क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है। अतः समिति का मत है कि वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।**
16. **प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम-बरबसपुर, घोड़ारी एवं मुढेना, तहसील व जिला-महासमुंद क्षेत्र में 95 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम-घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम-बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम-घोड़ारी एवं मुढेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक-दूसरे में ओवर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।**
17. **प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की (बैठक दिनांक, सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर सहित) अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. लीज बाउण्ड्री स्तंभ (boundary pillars) जिसमें स्तंभ की संख्या प्रदर्शित हो का फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की जाए।
5. वित्तीय आश्वासन (Financial assurance) से संबंधित जानकारी पत्रक दिनांक सहित प्रस्तुत की जाए।
6. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 20/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत एवं बोरवेल के माध्यम से की जाती है। मू-जल की उपयोगिता हेतु ग्राम पंचायत बरबसपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
4. लीज बाउण्ड्री स्तंभ (boundary pillars) का फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है।
5. वित्तीय आश्वासन (Financial assurance) से संबंधित जानकारी पत्रक दिनांक सहित प्रस्तुत किया गया है।
6. समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर दिनांक 01/01/2021 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.3

हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बरबसपुर) का रकबा 0.3 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
 - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
 - iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - iv. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - v. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from the mining department.
 - vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - vii. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River. Project proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.
 - viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
 - ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
 - x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
 - xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

- xii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xiv. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री इन्द्रसेन भांडेकर), ग्राम-बरबसपुर, तहसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1825)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 67917 / 2021, दिनांक 27 / 09 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बरबसपुर, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 187/1, कुल क्षेत्रफल-0.3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1447.5 टन (579 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 398वीं बैठक दिनांक 14/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री इन्द्रसेन भांडेकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 187/1, कुल क्षेत्रफल-0.30 हेक्टेयर, क्षमता-579 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-महासमुंद द्वारा

दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुन्द के ज्ञापन दिनांक 23/08/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

दिनांक	उत्पादन (घनमीटर)
01/01/2017 से 30/06/2017	निरंक
01/07/2017 से 31/12/2017	
01/01/2018 से 30/06/2018	182
01/07/2018 से 31/12/2018	135
01/01/2019 से 30/06/2019	180
01/07/2019 से 31/12/2019	270
01/01/2020 से 30/06/2020	355
01/07/2020 से 31/12/2020	165

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बड़गांव का दिनांक 19/11/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक 1701/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुन्द, दिनांक 26/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुन्द, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.3 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक 1247/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुन्द, दिनांक 23/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण - भूमि एवं लीज आवेदक के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 10/01/2012 से 09/01/2022 तक वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 10/01/2022 से 09/01/2042 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./खनिज/7424 महासमुंद, दिनांक 05/11/2011 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-बरबसपुर 1.2 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-बरबसपुर 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 10 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14.8 कि.मी. दूर है। महानदी 480 मीटर एवं बरसाती नाला 840 मीटर दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 29,150 टन (11,166 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 14,110 टन (5,644 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 10,582 टन (4,233 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 9,798 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 3,782 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के स्थान पर 3 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,164 वर्गमीटर है। प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
2022	556
2023	544
2024	579
2025	579
2026	579

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.98 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 194 नए वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि यदि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया हो तो पूर्व से उत्खनित क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures)

एवं रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान तथा रिजर्वस की विस्तृत गणना को समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग प्लान में लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के स्थान पर 3 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) छोड़ते हुये रिजर्व की गणना की गई है। समिति का मत है कि सुरक्षा के कारणों से लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़ते हुये रिजर्व की पुनः गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अधीन वृक्षारोपण का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये चिन्हित क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है। अतः समिति का मत है कि वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम-बरबसपुर, घोड़ारी एवं मुढेना, तहसील व जिला-महासमुंद क्षेत्र में 95 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम-घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम-बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम-घोड़ारी एवं मुढेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक-दूसरे में ओवर लैप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।
18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाए। यदि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया हो तो पूर्व से उत्खनित क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) एवं रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान तथा रिजर्वस की विस्तृत गणना को समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्तानुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।

4. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. लीज बाउण्ड्री स्तंभ (boundary pillars) जिसमें स्तंभ की संख्या प्रदर्शित हो का फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की जाए।
6. वित्तीय आश्वासन (Financial assurance) से संबंधित जानकारी पत्रक दिनांक सहित प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तम्भक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत बरबसपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. लीज क्षेत्र में ब्लास्टिंग नहीं किये जाने, उत्खनन हेतु एक दिन में 20 व्यक्ति से अधिक कर्मचारी नहीं होने, अधिकतम गहराई 6 मीटर तक सीमित रखे जाने, उत्खनन कार्य केवल मैनुअल विधि से किये जाने के कारण नियमानुसार माईन लीज बाउण्ड्री के चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई की पट्टी छोड़ी गई है। इसके संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि:-

माईन्स एक्ट, 1952 (खानों में और क्षेत्र श्रम के विनियम से संबंधित) की धारा 3(1) के अनुसार खदान में उत्खनन हेतु किसी एक दिन में 20 व्यक्ति से अधिक कर्मचारी नहीं होने, 6 मीटर से अधिक गहराई तक (उच्चतम से न्यूनतम बिन्दु तक) उत्खनन नहीं होने तथा उत्खनन हेतु विस्फोटक (Explosives) का उपयोग नहीं होने के कारण माईन्स एक्ट, 1952 लागू नहीं होगा। फलस्वरूप लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की सुरक्षा पट्टी की बाध्यता नहीं होने के कारण अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार माईन लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई की सुरक्षा पट्टी छोड़ा गया है।

अतः सुरक्षा कारणों से लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़ते हुए रिजर्व की पुनः गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है।

3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
4. लीज बाउण्ड्री स्तंभ (boundary pillars) का फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है।
5. वित्तीय आश्वासन (Financial assurance) से संबंधित जानकारी पत्रक दिनांक सहित प्रस्तुत किया गया है।
6. समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर दिनांक 01/01/2021 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.3 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बरबसपुर) का रकबा 0.3 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
 - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
 - iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - iv. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - v. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from the mining department.
 - vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - vii. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River. Project

proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.

- viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xiv. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स एन.एस. इस्पात (इण्डिया) लिमिटेड (यूनिट-2), ग्राम-सरौरा, तहसील-धरसीवां, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1881)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 246351/2021, दिनांक 21/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत ग्राम-सरोरा, तहसील-धरसीवां, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 411/3 (प.ह.नं. 101/29), कुल क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर में सी-रोल्ल प्रोडक्ट्स (रि-हीटिंग फर्नेस आधारित) क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,900 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 4.5 करोड़ होगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 19/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुकेश पाण्डे, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. जल एवं वायु सम्मति -

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा बिम, चैनल, पिलर एण्ड गिर्डर्स फॉर स्ट्रक्चर्स ऑयरन एण्ड स्टील क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 18/01/2021 को जारी की गई है, जो संचालन प्रारंभ माह की पहली तारीख से 1 वर्ष की अवधि तक के लिए वैध है।
- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी -

- निकटतम आबादी ग्राम-सरोरा 400 मीटर एवं रेलवे स्टेशन डब्ल्यू.आर.एस. 4.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1.1 कि.मी. दूर है। खारुन नदी 5.7 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. भू-स्वामित्व - भू-स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट -

S.No.	Land use	Area (In Sq. m.)	Area (%)
1	Rolling Mill Area	1,400	34.57
2	Finished Good Area	430	10.62
3	Raw material Yard	600	14.81
4	Green Belt Area	1,620	40.00
	Total	4,050	100

5. रॉ-मटेरियल -

Name of Raw Material	Existing (TPA)	After Expansion (TPA)	Source	Mode Transport
Billets/Ingots	30,000	59,900	Open Market	By Road in Through Covered Trucks
Coal	3,000	5,672		

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी -

S. No.	Particular	Existing	After Expansion
1.	Unit	Reheating Rolling Mill (1X10 TPH)	Reheating Rolling Mill (1X10 TPH) No Change
2.	Products	Re-rolled products - 30,000 TPA	Re-rolled products - 59,900 TPA

Note: Existing reheating furnace based rolling mill shall not be changed and capacity expansion shall be achieved by increasing number of working hours of reheating furnace from 10 Hrs per day to 18 Hrs per day.

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - वर्तमान में रि-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी से पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। वर्तमान में बिम, चैनल, पिलर एण्ड गिर्ड्स फॉर स्ट्रक्चर्स ऑयरन एण्ड स्टील के उत्पादन हेतु 9.1 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि-रोल्ड के उत्पादन हेतु 17.19 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होगी। वर्तमान में रोलिंग मिल रि-हीटिंग फर्नेस से एस.ओ.₂ के उत्सर्जन की मात्रा 23,100 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से एस.ओ.₂ की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे 9,240 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष एस.ओ.₂ उत्सर्जन में कमी होगी। इस व्यवस्था से एस.ओ.₂ के उत्सर्जन की मात्रा 13,860 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होना संभावित है।

8. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था - वर्तमान में रोलिंग मिल से मिल स्केल-153 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग 102 टन प्रतिवर्ष, यूस्ड ऑयल-60 लीटर प्रतिवर्ष, ऐश-1 टन प्रतिदिन एवं किचन वेस्ट 6 किलोग्राम प्रतिदिन अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रोलिंग मिल से मिल स्केल-300 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग-500 टन प्रतिवर्ष, यूस्ड आयल-120 लीटर प्रतिवर्ष, ऐश-2 टन प्रतिदिन एवं किचन वेस्ट 11 किलोग्राम प्रतिदिन अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को पुनः प्रोसेसिंग में उपयोग किया जाएगा। यूस्ड ऑयल को अधिकृत वेण्डर को विक्रय किया जाएगा। किचन वेस्ट को बायो-कम्पोस्टिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। ऐश को समीपस्थ ईट निर्माण इकाईयों को विक्रय किया जाएगा।

9. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- **जल खपत एवं स्रोत** - वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 9 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेसन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन तथा घरेलू हेतु 2 घनमीटर) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 20 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेसन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन तथा घरेलू हेतु 6 घनमीटर) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. से किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** - औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 6 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, सॉ-सीवेज कलेक्शन टैंक, एमबीबीआर टैंक, स्लज पम्पस, फिल्टर प्रेस, इंटरमेडियेट टैंक, प्रेसर सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।
- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** - उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:-
 - (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
 - (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** - उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 3,013 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, गहराई 2 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अतिरिक्त 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, गहराई 2 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** - सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों

के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 8,910 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 7,900 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित किया जाएगा, जिससे एस.ओ.₂ उत्सर्जन की मात्रा 23,100 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष से कम कर 13,860 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगा। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) एस.ओ.₂ उत्सर्जन की मात्रा में कमी, (3) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (4) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ का भू-गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 1.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 2.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। वर्तमान में विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किये जाने के संबंध जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु 214 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत 0.162 हेक्टेयर (लगभग 40 प्रतिशत) क्षेत्र में 191 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।
13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय किया जाना बताया गया, जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय किया जाए। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. भू-स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

3. जल की आपूर्ति सीएसआईडीसी से किये जाने हेतु अनुमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. कुल क्षेत्रफल का 40.1 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षों की प्रजाति का उल्लेख करते हुए वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/06/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:-

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। जबकि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सत्यापित पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. भू-स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भूमि एन.एस. इस्पात (इण्डिया) लिमिटेड के नाम पर है।
3. कार्यपालन अभियंता (संभाग-02), छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 01/02/2020 द्वारा जल प्रदाय करने बाबत पत्र जारी किया गया है।
4. वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु 214 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत 0.162 हेक्टेयर (लगभग 40 प्रतिशत) क्षेत्र में 191 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 405 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में रोपित 214 नग पौधे हेतु वृक्षों की प्रजाति का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि प्रस्तावित कार्यकलाप पश्चात् किये जाने वाले वृक्षारोपण के तहत वृक्षों की प्रजाति का उल्लेख करते हुए वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण के.एम.एल. फाईल सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल विनियोग (4.5 करोड़) का 2 प्रतिशत 9 लाख रुपये का व्यय उद्योग के आस-पास ईको पार्क निर्माण में किया जाना बताया गया है। परंतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1, 4 एवं 6 के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि जारी जल एवं वायु स्थापना सम्मति दिनांक 18/01/2021 के आधार पर उद्योग द्वारा दिनांक 14/04/2022 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है। उत्पादन प्रारंभ किये हुये 1 वर्ष भी नहीं हुये है। इस कारण से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सत्यापित पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। अतः सत्यापित पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये बिना पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति का मत है कि जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप पश्चात् किये जाने वाले 191 नग वृक्षारोपण के स्थान पर 200 नग वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पौधों के लिए राशि 8,000 रुपये, ट्री-गार्ड के लिए राशि 60,000 रुपये,

खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 2,12,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,81,500 रुपये एवं रख-रखाव के लिए आगामी 4 वर्ष तक कुल राशि 7,69,900 रुपये हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
450	2%	9.0	Following activities at nearby, Village-Sarora	
			Eco Park Nirman	10.02
			Total	10.02

4. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के तहत (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, जामुन, अमलतास आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 40,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 55,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,80,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,78,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,24,600 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम सरोरा तहसील धरसीवा जिला रायपुर के यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 409/1, क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर, भू-स्वामी श्री मुकेश पाण्डेय) को 25 वर्षों हेतु लीज में लिए जाने एवं उक्त भूमि पर सी.ई.आर. के अंतर्गत ईको पार्क निर्माण किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

15. मेसर्स नव दुर्गा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-6), सेक्टर-सी, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1878)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 246050/ 2021, दिनांक 20/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत सेक्टर-सी, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला-रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 435ए, 423ए, 429, 430, 431 एवं 432, कुल क्षेत्रफल - 1.15 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत 2 गुणा 10 टीपीएच (1 नग स्थापित एवं 1 नग प्रस्तावित) इण्डक्शन फर्नेस (इंगाट्स/बिलेट्स) क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,900 टन प्रतिवर्ष एवं सी-हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल (सी-रोल्ड प्रोडक्ट्स) क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,900 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 9.5 करोड़ होगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुकेश पाण्डे, डीयरक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. जल एवं वायु सम्मति -

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा सी-रोल्ड प्रोडक्ट्स ऑयरन/स्टील क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष एवं स्टील इंगाट्स क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 04/11/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता 30/11/2024 तक की अवधि हेतु है।
- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी -

- निकटतम आबादी बिरगांव 1 कि.मी. एवं शहर रायपुर 5 कि.मी. तथा रेलवे स्टेशन उरकुरा 3.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 18.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। खारून नदी 6.4 कि.मी. दूर है।
- पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य,

पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट – क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। लेण्ड एरिया स्टेटमेंट निम्नानुसार है:-

Particular	Area (in Sq.m.)	Area (%)
Induction Furnace Area	1,200	10.42
Rolling Mill Area	2,550	22.14
Finished Good Area	700	6.08
Raw material Yard	900	7.81
Parking Area	750	6.51
Road Area	800	6.94
Green Belt Area	4,620	40.10
Total	11,520	100

4. रॉ-मटेरियल –

For Induction Furnace			
Raw Material	Existing Quantity (TPA)	After Expansion Quantity (TPA)	Mode of Transport
Sponge Iron	24,425	48,500	By Road through covered trucks
Scrap	7,617	15,000	
Ferro Alloys	320	660	
For Rolling Mill			
Billets	30,000	59,900	In house

5. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

Particular	Existing	After Expansion
Unit	Induction Furnace (1x10 TPH) Reheating Furnace (1x10TPH)	Induction Furnace (2x10 TPH) Reheating Furnace (1x10 TPH)
Working Hour	Induction Furnace 24 Hrs Reheating Furnace 10 Hrs	Induction Furnace 24 Hrs Reheating Furnace 24 Hrs
Production	Billet 30,000 TPA Rerolled Product 30,000 TPA	Billets 59,900 TPA Rerolled Product 59,900 TPA
Coal Requirement	3,000 TPA	5,672 TPA
Note: Existing reheating furnace based rolling mill shall not be changed and capacity expansion shall be achieved by increasing number of working hours of reheating furnace from 10 Hrs per day to 24 Hrs per day.		

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – वर्तमान में रि-हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल एवं इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि-हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल एवं इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पीटीएफई बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी की ऊंचाई यथावत् रहेगी। चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का

उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। वर्तमान में रि-रोल्ड प्रोडक्ट्स ऑयरन/स्टील के उत्पादन हेतु 9.1 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि-रोल्ड के उत्पादन हेतु 17.19 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होगी। वर्तमान में रोलिंग मिल रि-हीटिंग फर्नेस से एस.ओ.₂ के उत्सर्जन की मात्रा 23,100 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से एस.ओ.₂ की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे 9,240 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष एस.ओ.₂ उत्सर्जन में कमी होगी। इस व्यवस्था से एस.ओ.₂ के उत्सर्जन की मात्रा 13,860 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होना संभावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** - वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से स्लेग-1,148 टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल-153 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग-102 टन प्रतिवर्ष, यूस्ड आयल-90 लीटर प्रतिवर्ष, किचन वेस्ट 8 कि.ग्रा. प्रतिदिन एवं ऐश-1 टन प्रतिदिन अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस एवं रि-हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल से स्लेग- 2,250 टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल- 300 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग-500 टन प्रतिवर्ष, यूस्ड आयल - 180 लीटर प्रतिवर्ष एवं ऐश-2 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगी। स्लेग को स्लेग प्रोसेसिंग इकाई को विक्रय किया जाएगा। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को पुनः प्रोसेसिंग में उपयोग किया जाएगा। यूस्ड ऑयल को अधिकृत वेण्डर को विक्रय किया जाएगा। ऐश को समीपस्थ ईट निर्माण इकाईयों को विक्रय किया जाएगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था -**

- **जल खपत एवं स्रोत** - वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 21 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेसन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 32 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेसन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन तथा घरेलू हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. से किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** - औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, रॉ-सीवेज कलेक्शन टैंक, एमबीबीआर टैंक, स्लज पम्पस, फिल्टर प्रेस, इंटरमेडियेट टैंक, प्रेसर सेण्ड फिल्टर,

एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:-

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 7,907 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अतिरिक्त 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

9. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 30,287.4 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित पीटीएफई बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 24,789.6 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। स्टैंक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित किया जाएगा, जिससे एस.ओ.₂ उत्सर्जन की मात्रा 23,100 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष से कम कर 13,860 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगा। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु सेलिंग मिल के कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) एस.ओ.₂ उत्सर्जन की मात्रा में कमी, (3) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (4) जल उपयोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ का भू-गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।

10. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रदूषण भार में वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस (1 X 10 TPH) एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस (2 X 10 TPH) में आयतन प्रवाह दर

Bhand

(volumetric flow rate) यथावत् रखकर गणना की गई है, जो कि उपयुक्त नहीं है। जबकि इण्डक्शन फर्नेस में वृद्धि होने के कारण आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) में वृद्धि होना संभावित है। अतः समिति का मत है कि उपरोक्त हेतु पुनः प्रदूषण भार की स्पष्ट गणना परियोजना प्रस्तावक से मंगाया जाना आवश्यक है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** -- वर्तमान में परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 8.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किये जाने के संबंध जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** -- वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु 536 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत 0.46 हेक्टेयर (लगभग 40.1 प्रतिशत) क्षेत्र में 614 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि उद्योग परिसर के भीतर 40.1 प्रतिशत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** -- प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय किया जाना बताया गया, जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय किया जाए। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. जल की आपूर्ति सीएसआईडीसी से किये जाने हेतु अनुमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत प्रदूषण भार में वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस (1 X 10 TPH) एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस (2 X 10 TPH) में आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) यथावत् रखकर गणना की गई है, जो कि उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। जबकि इण्डक्शन फर्नेस में वृद्धि होने के कारण आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) में वृद्धि होना संभावित है। अतः उपरोक्त हेतु पुनः प्रदूषण भार की स्पष्ट गणना कर प्रस्तुत करते हुए एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

4. चिमनी से पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने बाबत विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. कोल गैसीफायर से उत्पन्न फिनॉलिक वेस्ट वॉटर के उपचार / निपटान परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 (यथा संशोधित) एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोल गैसीफायर से उत्पन्न फिनॉलिक वेस्ट वॉटर हेतु माह जनवरी 2017 को जारी एसओपी (Standard Operating Procedure) के प्रावधानों के तहत प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. कुल क्षेत्रफल का 40.1 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षों की प्रजाति का उल्लेख करते हुए वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय किया जाए। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/06/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:-

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। जबकि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सत्यापित पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. कार्यपालन अभियंता (संभाग-02), छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 06/01/2020 द्वारा जल प्रदाय करने बाबत पत्र जारी किया गया है।
3. प्रस्तुत प्रदूषण भार में वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस (1 X 10 TPH) एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस (2 X 10 TPH) में आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) यथावत् रखकर गणना करने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया कि स्थापित चिमनी का में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित स्क्रबर के स्थान पर बेग फिल्टर लगाया जाएगा। अतः

प्रदूषण भार की गणना हेतु आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) यथावत् रहेगी। साथ ही चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम करने हेतु उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

4. वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 22,334.4 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित पीटीएफई बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 13,384.8 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी।
5. आवेदित प्रकरण में कोल गैसीफिकेशन प्रोसेस के तहत उद्योग का संचालन किया जाएगा। गैस तापमान 475°C से अधिक रखा जाएगा। पाईप लाईन में एवं गैसीफायर में किसी भी प्रकार का टार फार्मेशन नहीं होगा। इस प्रोसेस में कोल में फिक्स कॉर्बन एवं वोलेटाईल मेटर उपस्थित रहेंगे। गैस हाई क्लोरिफिक वैल्यु में रहेगा। अतः फिनॉलिक वॉटर उत्पन्न नहीं होगा। समिति का मत है कि यदि किसी कारणों (गैस तापमान में कमी होने, आकासमिक शट डाउन की स्थिति में, विद्युत अवरोध की स्थिति में इत्यादि) से फिनॉलिक वॉटर उत्पन्न होगा, के संबंध में फिनॉलिक वॉटर के उपचार / निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।
6. वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु 536 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत 0.46 हेक्टेयर (लगभग 40.1 प्रतिशत) क्षेत्र में 614 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 1,150 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षों की प्रजाति का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 614 नग पौधों के लिए राशि 1,22,800 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,84,200 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 10,74,500 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 13,81,500 रुपये 5 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि के.एम.एल. फाईल सहित वृक्षारोपण की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल विनियोग (9.5 करोड़) का 2 प्रतिशत 19 लाख रुपये का व्यय उद्योग के आस-पास ईको पार्क निर्माण में किया जाना बताया गया है। परंतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1, 5 एवं 8 के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. के.एम.एल. फाईल सहित वृक्षारोपण की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सत्यापित पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. कोल बेस्ड गैसीफायर प्रोसेस का पूर्ण प्लो चार्ट (with drawing and design) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रस्तावित गैसीफायर में हॉट गैस फायरिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा एवं गैसीफायर से उत्पन्न गैस का कण्डनशेसन नहीं किया जाएगा, जिससे कोई फिर्नालिक वॉटर उत्पन्न नहीं होगा। यदि किसी कारण से फिर्नालिक वॉटर उत्पन्न होगी तो उसे गैसीफायर में पुनः इन्सर्ट (re-insert) किया जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
950	2%	19	Following activities at nearby, Village-Sarora	
			Eco Park Nirman	19.04
			Total	19.04

4. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के तहत (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, जामुन, अमलतास आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 2,000 नग पौधों के लिए राशि 80,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,52,500 रुपये, खाद के लिए राशि 12,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 3,30,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 6,74,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 13,38,400 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-सरोरा, तहसील धरसीवा, जिला-रायपुर के यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 409/2, क्षेत्रफल 0.363

हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 395, क्षेत्रफल 0.51 हेक्टेयर, भू-स्वामी श्री मुकेश पाण्डेय) को 25 वर्षों हेतु लीज में लिए जाने एवं उक्त भूमि पर सी.ई.आर. के अंतर्गत ईको पार्क निर्माण किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. के.एम.एल. फाईल सहित वृक्षारोपण की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत जाए।
2. के.एम.एल. फाईल सहित वृक्षारोपण की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लेख किया जाए।

18. मेसर्स शुभम मिनरल्स (प्रो.- श्री बी.एल. रमानी, मोहभट्टा डोलोमाईट डिपोजिट), ग्राम-मोहभट्टा, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1664ए)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 212404/2021, दिनांक 17/05/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा संयुक्त लोक सुनवाई हेतु दिनांक 13/10/2022 के माध्यम से अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मोहभट्टा, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 1299, 1301, 1302, 1303, 1304 एवं 1305, कुल क्षेत्रफल-2.26 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-4,698 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन के ज्ञापन क्रमांक 910, दिनांक 28/06/2021 द्वारा टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बी.एल.रमानी, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जिला बेमेतरा के ग्राम कोदवा एवं मोहभट्टा में स्थित विभिन्न खदानों का एक स्पष्ट क्लस्टर बन रहा है, जो कि Google Earth की Satellite Image से स्पष्ट होता है। इस क्लस्टर में मेरी भी खदान शुभम मिनरल्स प्रो.- श्री बी.एल. रमानी, रकबा-2.26 हेक्टेयर, ग्राम-मोहभट्टा में स्थित है। जिसकी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मेरे द्वारा आपके माननीय कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ कुछ अन्य परियोजना प्रस्तावकों द्वारा भी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। समस्त परियोजना प्रस्तावकों की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु एक साथ लोकसुनवाई करवाये जाने का अनुरोध है।


माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में "There shall be one public consultation for entire cluster after which the final Environment Impact Assessment or Environment Management Plan report for the cluster shall be prepared" का उल्लेख है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह अनुशंसा की गई कि क्लस्टर हेतु संयुक्त जन सुनवाई संबंधित जिला के कलेक्टर द्वारा कराई जा सकती है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 422वीं एवं 423वीं बैठक क्रमशः दिनांक 07/09/2022 एवं 08/09/2022 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक 06/10/2022 द्वारा किया गया।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।


(कलदियुस तिकी)

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़


(डॉ. बी.पी. नोहारे)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़


मेसर्स मुढीपार लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री राजेश चंद्राकर)
को खसरा क्रमांक 311 एवं 312, कुल लीज क्षेत्र 1.064 हेक्टेयर, ग्राम-मुढीपार,
तहसील व जिला-राजनांदगांव में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन - 20,000
टन (8,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.064 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 20,000 टन (8,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
6. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
7. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
8. किसी धिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित

रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनेन्ट कम संप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

9. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
10. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए एवं संरक्षण किया जाए।
11. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
12. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
13. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैंक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
15. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)



40	2%	0.80	Following activities at Nearby Private Land	
			Village- Murhipar	
			Plantation with fencing	1.06
			Total	1.06


17. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
18. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण किये जाने हेतु आवेदित ग्राम-मुड़ीपार में शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 311 एवं 312, क्षेत्रफल 0.2 हेक्टेयर) में वृक्षारोपण हेतु (आम एवं नीम के पौधे) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 37,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 25,000 रुपये, सिंचाई, खाद के लिए राशि 20,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,06,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण अनुसार कार्य पूर्ण करें।
19. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
21. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 700 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
22. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 250 पौधों का रोपण (कुल 950 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
23. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।


24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
25. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
27. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
31. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइ रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
32. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
35. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
37. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

Bl...

38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स सालेपाल सेण्ड स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री संजय मण्डावी)

को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 187/2, कुल लीज क्षेत्र 4.95 हेक्टेयर,

ग्राम-सालेपाल, तहसील-तोकापाल, जिला-बस्तर में सेण्ड स्टोन (गौण खनिज)
उत्खनन - 1,77,305 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 4.95 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से सेण्ड स्टोन का अधिकतम उत्खनन 1,77,305 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
5. औद्योगिक प्रक्रियाएं एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
6. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
7. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
8. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित

रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनेन्ट कम सप्लेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

9. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
10. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
11. ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 11,700 घनमीटर है जिसमें से 8,352 घनमीटर ऊपरी मिट्टी का उपयोग लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में वृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जाएगा तथा शेष 3,348 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर क्रशर हेतु प्रस्तावित गैर माईनिंग क्षेत्र में डम्प किये जाने उपरांत क्रशर स्थापित किया जाएगा।
12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईनिंग पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
16. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

Blind

		(In Lakh Rupees)		Allocation (in Lakh Rupees)
44.36	2%	0.88	Following activities at Nearby Govt. Middle School, Village- Salepal	
			Potable Drinking water facility with 5 year AMC	0.40
			Running water arrangement in Toilet & Kitchen	0.50
			Environment related Books	0.10
			Cupboard (Almirah)	0.10
			Total	1.10

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
19. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
21. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,200 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
22. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1,000 पौधों का रोपण (कुल 2,200 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।


23. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
25. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
26. लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित/ प्रस्तावित क्रशर पर वेब कैमरा (एक माह का स्टोरेज फेसीलिटी सहित) लगाया जाए।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
28. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
32. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फलाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
33. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
36. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था




अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

37. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
41. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स श्री आशीष पालीवाल (धौरामाठा लाईम स्टोन क्वारी)
को खसरा क्रमांक 1215(पार्ट), 1216(पार्ट), 1217(पार्ट), 1218/1, 1218/2,
1219/1, 1219/2, 1228/1 एवं 1229(पार्ट), कुल लीज क्षेत्र 1.59 हेक्टेयर,
ग्राम-धौरामाठा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग में चूना पत्थर (गौण खनिज)
उत्खनन - 26,317.5 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.59 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 26,317.5 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
6. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
7. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
8. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के

विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्लेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

9. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
10. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
11. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
12. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
13. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेंनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
15. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Government Higher Secondary	

			School, Village – Dhaurabhata
			Rain Water Harvesting System
			0.50
			Potable Drinking Water Facility
			0.10
			Running Water Facility for Toilet
			0.10
			Plantation in School/ Community Health Center Premises
			0.10
			Total
			0.80

17. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
18. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
19. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
20. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 400 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
21. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 पौधों का रोपण (कुल 700 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
22. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
23. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण

का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

24. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
26. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
30. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइंग रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
31. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
32. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
34. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
35. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
36. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
37. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी





प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
40. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
41. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
42. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
44. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
45. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर

विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके।
खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण,
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं
किया जाए।

46. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय
कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30
दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
47. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन
ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय
अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स तारापुर सेण्ड माईन (प्रो.- श्रीमती सरोज अग्रवाल)
को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1242, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत
क्षेत्रफल में, ग्राम-तारापुर, तहसील-बकावण्ड, जिला-बस्तर (छ.ग.) में भसकली
नदी से रेत उत्खनन क्षमता 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण
स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 4.9 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 2 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए. ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2022, 2023, 2024 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
6. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में मारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 0.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह,

दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 400 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।



16. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।
17. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
18. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
17.29	2%	0.35	Following activities at nearby, Village-Tarapur	
			Pavitra Van	5.98
			Total	5.98

20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।
21. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 870 नग पौधों के लिए राशि 17,400 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 70,000 रुपये, खाद के लिए राशि 6,540 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,23,920 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,17,860 रुपये तथा द्वितीय वर्ष में खाद, सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,55,792 रुपये तथा तृतीय वर्ष में खाद, सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,24,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत तारापुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1348, क्षेत्रफल 0.54 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण किया जाए।
22. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
23. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
25. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
26. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
27. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
28. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा।
29. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
30. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
31. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
32. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
33. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
36. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
37. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-ब्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्राक्धानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स टलनार सेण्ड माईन (प्रो.- श्री सुरेश परतागिरी)
को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1079, कुल क्षेत्रफल-1.6 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में, ग्राम-टलनार, तहसील-बकावण्ड, जिला-बस्तर (छ.ग.) में मसकली नदी से रेत उत्खनन क्षमता 8,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** — परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 4.9 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 1.6 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 8,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए. ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2022, 2023, 2024 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
6. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 0.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह,

दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 400 नम पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।



16. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।
17. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
18. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
11.83	2%	0.23	Following activities at nearby, Village-Talnar	
			Pavitra Van	5.98
			Total	5.98

20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।
21. सी.ई.आर. के अंतर्गत 'पवित्र वन' के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,500 नग पौधों के लिए राशि 30,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,50,500 रुपये, खाद के लिए राशि 11,250 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,34,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,25,450 रुपये तथा द्वितीय वर्ष में खाद, सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,58,540 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत टलनार के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 630, क्षेत्रफल 1.57 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण किया जाए।
22. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
23. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
25. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
26. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
27. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
28. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा।
29. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
30. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
31. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
32. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
33. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
36. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
37. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-ब्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर / तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स भाटपाल सेण्ड माईन (प्रो.- श्री शुक्र कुमार निषाद)

को खसरा क्रमांक 581, कुल क्षेत्रफल-4.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में, ग्राम-भाटपाल, तहसील व जिला-नारायणपुर (छ.ग.) में छेरीबेड़ा नदी से रेत उत्खनन क्षमता 49,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 4.9 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 49,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए. ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2022, 2023, 2024 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
6. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह,

दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरंस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।



16. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।
17. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
18. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at, Village-Bhatpal	
			Pavitra Van Nirman	9.57
			Total	9.57

20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।
21. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 नग पौधों के लिए राशि 28,800 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,500 रुपये, खाद के लिए राशि 6,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 2,08,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,03,300 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,53,920 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत भाटपाल के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 237, क्षेत्रफल 2.61 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण किया जाए।
22. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
23. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

Ph. 1

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
25. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
26. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
27. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
28. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा।
29. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
30. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
31. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
32. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
33. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
36. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
37. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स गोलाबेकुर ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- मोहम्मद अब्दुल्ला खान, टेम्पररी परमिट) को खसरा क्रमांक 1136, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, ग्राम-गोलाबेकुर, तहसील व जिला-सुकमा में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन - 71,371 टन प्रतिवर्ष (2 वर्षों में कुल क्षमता 1,41,987 टन से अधिक न हो) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 71,371 टन प्रतिवर्ष (2 वर्षों में कुल क्षमता 1,41,987 टन से अधिक न हो) से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
5. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
8. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ

उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
16. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

Bhd

16.92	2%	0.33	Following activities at Nearby Government Middle School, Village-Pujaripara (Golabekur)	
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.35
			Running Water Facility for Toilets & Kitchen	0.35
			Total	0.70


18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
19. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
21. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 695 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
22. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 नग पौधों का रोपण (कुल 895 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
23. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।


25. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
27. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पयुजिटिव इस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
31. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फलाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
32. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
35. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
37. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण,

वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.